तटरक्षक जिला मुख्यालय संख्या -8, हल्दिया

राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु एक कदम

राजभाषा दर्शिका

विशेष अंक

प्रकाशक

मुख्यालय
तटरक्षक जिला मुख्यालय संख्या-8
ऐंकरेज कैंप
हल्दिया-721607

संपादन मंडल

समादेशक सहदेव सेंगवा
कार्यकारी अधिकारी

श्री अरुण कुमार
असैन्य कार्मिक अधिकारी
जिला असैन्य कार्मिक अधिकारी

श्री गुड्डू कुमार शर्मा
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
जिला हिन्दी अधिकारी

श्रीमती कविता सिंह
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
प्रभारी, हिंदी अनुभाग

संदेश

महानिरीक्षक इकबाल सिंह चौहान, रा.त.प.,त.प.
कमांडर, तटरक्षक क्षेत्र (उ.पू.)

मुझे यह जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि तटरक्षक जिला मुख्यालय संख्या-8, हल्दिया द्वारा 'राजभाषा दर्शिका' नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। यह पत्रिका राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा संवैधानिक और सरकारी नियमों के अनुपालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

राजभाषा हिंदी न केवल हमारी सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान है, बल्कि प्रशासनिक और तकनीकी क्षेत्रों में इसके प्रयोग से कार्य में सरलता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता आती है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति और उससे संबंधित नियमों का संपूर्ण और स्पष्ट उल्लेख इस पत्रिका में किया गया है, जो सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा।

हिंदी के प्रभावी प्रयोग हेतु इस प्रकार की जानकारियों का संकलन और प्रचार अत्यंत आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि यह पत्रिका तटरक्षक बल के समस्त कार्मिकों को राजभाषा के प्रयोग हेतु प्रेरित करेगी तथा कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के प्रचलन को और अधिक सशक्त बनाएगी।

मैं 'राजभाषा दर्शिका' के सफल प्रकाशन के लिए संपादकीय दल को हार्दिक बधाई देता हूँ और इस दिशा में उनके सतत प्रयासों के लिए शुभकामनाएँ प्रकट करता हूँ।

(इकबाल सिंह चौहान)
महानिरीक्षक
कमांडर
तटरक्षक क्षेत्र (उ.पू.)

संदेश

उप महानिरीक्षक अनवर खान, त.प.
कमांडर (प.बं.)

हमें यह कहते हुए अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है कि तटरक्षक जिला मुख्यालय संख्या-8 द्वारा 'राजभाषा दर्शिका' का प्रकाशन किया जा रहा है, जो हिंदी के प्रचार-प्रसार और राजभाषा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नियम, आदेश और कार्यान्वयन दिशानिर्देशों को सहज भाषा में एकत्रित कर इस दर्शिका में द्विभाषिक रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे समस्त कार्मिकों को हिंदी के प्रयोग में सुविधा होगी। यह दर्शिका केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक प्रेरणास्त्रोत है — जो हमें हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धताओं की याद दिलाती है।

तटरक्षक बल में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु इस जिला मुख्यालय के हिंदी अनुभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों में यह दर्शिका एक मील का पत्थर सिद्ध होगी। मैं आशा करता हूँ कि यह सभी संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए एक उपयोगी संदर्भ सामग्री के रूप में कार्य करेगी और हिंदी के प्रयोग को सशक्त बनाएगी।

'राजभाषा दर्शिका' के सफल प्रकाशन हेतु संपूर्ण संपादकीय टीम को हार्दिक शुभकामनाएँ।

अनवर खान

(अनवर खान)
उप महानिरीक्षक
कमांडर (प.बं.)
तटरक्षक जिला
मुख्यालय संख्या -8

संपादकीय

समादेशक सहदेव सेंगवा
कार्यकारी अधिकारी

श्री अरुण कुमार
अ. कार्मिक अधि.

श्री गुड्डू कुमार शर्मा
व. अनुवाद अधिकारी

श्रीमती कविता सिंह
क. अनुवाद अधिकारी

हमें यह बताते हुए अत्यंत हर्ष और गौरव का अनुभव हो रहा है कि इस जिला मुख्यालय संख्या-8 द्वारा 'राजभाषा दर्शिका' का प्रकाशन किया जा रहा है। यह दर्शिका न केवल एक सूचना-संग्रहण का माध्यम है, बल्कि एक विचार और संकल्प का दस्तावेज भी है—जिसका मूल उद्देश्य राजभाषा हिंदी के प्रयोग को जागरूकता, सहजता और उत्तरदायित्व के साथ कार्यालयीन कार्य संस्कृति में स्थापित करना है।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित संवैधानिक प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम, नियमावली, वार्षिक कार्यक्रम तथा समय-समय पर जारी निर्देशों का समुचित और सुव्यवस्थित संकलन इस पत्रिका में किया गया है। इसका उद्देश्य तटरक्षक बल के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और नव-प्रवेशित कार्मिकों को हिंदी के कार्यान्वयन संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देशों से अवगत कराना है ताकि वे कार्यालयीन कार्यों में आत्मविश्वासपूर्वक एवं सुचारु रूप से हिंदी का प्रयोग कर सकें।

राजभाषा केवल भाषा नहीं, हमारी सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक जुड़ाव और राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतिबिंब है। जब हम कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग करते हैं, तो न केवल संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हैं, बल्कि आम नागरिक से जुड़ने की एक सशक्त कड़ी भी स्थापित करते हैं। 'राजभाषा दर्शिका' का प्रकाशन इस दिशा में एक ठोस पहल है, जिससे भाषा और शासन के बीच की दूरी कम हो और संवाद अधिक सुलभ, स्पष्ट तथा प्रभावशाली बन सके।

संपादन मंडल ने इस दर्शिका को तैयार करने में अत्यंत सावधानी और उत्तरदायित्व के साथ सामग्री का चयन एवं प्रस्तुति का विन्यास किया है, जिससे यह पत्रिका केवल सूचना का संग्रह न रहकर एक प्रेरणास्रोत बन सके। हमने प्रयास किया है कि यह दर्शिका उपयोगकर्ता-मित्रवत हो, ताकि इसे पढ़ना, समझना और कार्य में लागू करना सभी के लिए सहज हो।

हम इस अवसर पर राजभाषा विभाग, तटरक्षक क्षेत्र (उ.पू.) के वरिष्ठ अधिकारियों तथा उन सभी कर्मठ सहयोगियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिनके मार्गदर्शन, सहयोग और उत्साहवर्धन के बिना यह कार्य संभव नहीं हो पाता।

हम आशा करते हैं कि 'राजभाषा दर्शिका' न केवल एक संदर्भ पुस्तक के रूप में उपयोगी सिद्ध होगी, बल्कि हिंदी को कार्य व्यवहार में प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रेरक भूमिका भी निभाएगी।

भवदीय,
संपादन मंडल
राजभाषा दर्शिका
तटरक्षक जिला मु. -8

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
(सदैव ऊर्जावान ; निरंतर प्रयासरत)

राजभाषा प्रतिज्ञा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 तथा राजभाषा संकल्प 1968 के आलोक में हम, केन्द्र सरकार के कार्मिक यह प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने उदाहरणमय नेतृत्व और निरंतर निगरानी से, अपनी प्रतिबद्धता और प्रयासों से; प्रशिक्षण और प्राइज से अपने साथियों में राजभाषा प्रेम की ज्योति जलाये रखेंगे, उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे, अपने अधीनस्थ के हितों का ध्यान रखते हुए; अपने प्रबंधन को और अधिक कुशल और प्रभावशाली बनाते हुए राजभाषा हिंदी का प्रयोग, प्रचार और प्रसार बढ़ाएंगे। हम राजभाषा के संवर्द्धन के प्रति सदैव ऊर्जावान और निरंतर प्रयासरत रहेंगे।

जय राजभाषा ! जय हिंद !

अनुक्रमणिका

क्रमांक Ser.	विषय-वस्तु Subject	पृष्ठ संख्या Page No.
1.	**राजभाषा संबंधी सांविधानिक उपबंध - संघ की राजभाषा नीति**	1 - 10
2.	**राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित, 1967)**	11 - 20
3.	**राजभाषा संकल्प, 1968**	21 - 24
4.	**राजभाषा नियम, 1976 (यथासंशोधित, 1987)**	25 - 40
5.	**राजभाषा वर्गीकरण का मानचित्र**	41
6.	**संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ**	42
7.	**राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख आदेश**	43 - 52
8.	**हिंदी भाषा, टंकण एवं आशुलिपिक प्रशिक्षण**	53 - 55
9.	**केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा अनुवाद प्रशिक्षण**	56 - 57
10.	**क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय**	58 - 61
11.	**संसदीय राजभाषा समिति**	62 - 63
12.	**केंद्रीय हिंदी समिति**	64 - 65
13.	**हिंदी सलाहकार समिति**	66 - 67
14.	**केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति**	68
15.	**नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति**	69 - 70
16.	**विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति**	71
17.	**राजभाषा संबंधी प्रमुख संस्थान**	72 - 75
18.	**हिंदी के ई-टूल्स**	76 - 79
19.	**हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन योजना**	80 - 81
20.	**वार्षिक कार्यक्रम 2025-26**	82 - 83
21.	**अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन**	84

राजभाषा संबंधी सांविधानिक उपबंध – संघ की राजभाषा नीति

भारत का संविधान, भाग-5

संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा (अनुच्छेद 120)

(1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद में कार्य हिन्दी या अंग्रेजी में किया जाएगा,

परंतु, यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं कर सकता, सदन को अपनी मातृभाषा में संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो "या अंग्रेजी में" शब्द उसमें से लोप कर दिया गया हों।

भाग-6

विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा (अनुच्छेद 210)

(1) भाग-17 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल में कार्य उस राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में अथवा हिन्दी या अंग्रेजी में किया जाएगा:

परंतु, यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी में अपनी बात पर्याप्त रूप से अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, सदन को अपनी मातृभाषा में संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) जब तक राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक यह अनुच्छेद इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् इस प्रकार प्रभावी होगा मानो "या अंग्रेजी में" शब्द उसमें से लोप कर दिए गए हों|

परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधानमंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले "पंद्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस वर्ष" शब्द रख दिए गए हों|

CONSTITUTIONAL PROVISIONS REGARDING OFFICIAL LANGUAGE – OFFICIAL LANGUAGE POLICY OF THE UNION

Constitution of India, Part-V

Language to be used in Parliament (Article-120)

(1) Notwithstanding anything in Part XVII, but subject to the provisions of article 348, business in Parliament shall be transacted in Hindi or in English:

Provided that the Chairman of the Council of States or Speaker of the House of the People, or person acting as such, as the case may be, may permit any member who cannot adequately express himself in Hindi or in English to address the House in his mother-tongue.

(2) Unless Parliament by law otherwise provides, this article shall, after the expiration of a period of fifteen years from the commencement of this Constitution, have effect as if the words "or in English" were omitted therefrom.

Part-VI

Language to be used in the Legislature (Article-210)

(1) Notwithstanding anything in Part XVII, but subject to the provisions of article 348, business in the Legislature of a State shall be transacted in the official language or languages of the State or in Hindi or in English:

Provided that the Speaker of the Legislative Assembly or Chairman of the Legislative Council, or person acting as such, as the case may be, may permit any member who cannot adequately express himself in any of the languages aforesaid to address the House in his mother-tongue.

(2) Unless the Legislature of the State by law otherwise provides, this article shall, after the expiration of a period of fifteen years from the commencement of this Constitution, have effect as if the words "or in English" were omitted therefrom:

Provided that in relation to the Legislatures of the States of Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya and Tripura this clause shall have effect as if for the words "fifteen years" occurring therein, the words "twenty-five years" were substituted:

भारत का संविधान, भाग-।7

(संविधान के भाग-।7 में संघ, राज्यों, न्यायपालिका और अंतर-सरकारी संचार में प्रयोग की जाने वाली एक आधिकारिक भाषा के प्रावधान हैं।)

अनुच्छेद -343

(1) संघ की राजभाषा हिन्दी तथा लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

(2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था:

परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के किसी शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का तथा भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद विधि द्वारा, उक्त पंद्रह वर्ष की अवधि के पश्चात्, निम्नलिखित के उपयोग के लिए उपबंध कर सकेगी-

(क) अंग्रेजी भाषा, या

(ख) अंकों का देवनागरी रूप,

ऐसे प्रयोजनों के लिए जैसा कि विधि में विनिर्दिष्ट किया जाएं|

अनुच्छेद 344. राजभाषा संबंधी आयोग और संसद की समिति-

(1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और उसके पश्चात् ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग का गठन करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिभाषित की जाएगी।

(2) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित के संबंध में सिफारिशें करे-

(क) संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा का प्रगामी प्रयोग;

(ख) संघ के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर प्रतिबंध;

(ग) अनुच्छेद 348 में वर्णित सभी या किसी भी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा;

(घ) संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप;

Constitution of India, Part-XVII

(Part XVII of the Constitution contains provisions for an official language for the Union, the states, the judiciary and to be used in inter-governmental communication.)

Article -343

(1) The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script. The form of numerals to be used for the official purposes of the Union shall be the international form of Indian numerals.

(2) Notwithstanding anything in clause (1), for a period of fifteen years from the commencement of this Constitution, the English language shall continue to be used for all the official purposes of the Union for which it was being used immediately before such commencement:

Provided that the President may, during the said period, by order authorise the use of the Hindi language in addition to the English language and of the Devanagari form of numerals in addition to the international form of Indian numerals for any of the official purposes of the Union.

(3) Notwithstanding anything in this article, Parliament may by law provide for the use, after the said period of fifteen years, of—

(a) the English language, or

(b) the Devanagari form of numerals,

for such purposes as may be specified in the law

Article 344. Commission and Committee of Parliament on OL

(1) The President shall, at the expiration of five years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of ten years from such commencement, by order constitute a Commission which shall consist of a Chairman and such other members representing the different languages specified in the Eighth Schedule as the President may appoint, and the order shall define the procedure to be followed by the Commission.

(2) It shall be the duty of the Commission to make recommendations to the President as to—

(a) the progressive use of the Hindi language for the official purposes of the Union;

(b) restrictions on the use of the English language for all or any of the official purposes of the Union;

(c) the language to be used for all or any of the purposes mentioned in article 348;

(d) the form of numerals to be used for any one or more specified purposes of the Union;

(ङ) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा तथा उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजा गया कोई अन्य विषय।

(3) खंड (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करते समय आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति तथा लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों के न्यायोचित दावों और हितों का सम्यक् ध्यान रखेगा।

(4) तीस सदस्यों वाली एक समिति गठित की जाएगी, जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे और दस राज्य सभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे।

(5) समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की जांच करे तथा उन पर अपनी राय राष्ट्रपति को बताए।

(6) अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति खंड (5) में निर्दिष्ट रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् उस संपूर्ण रिपोर्ट या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश जारी कर सके|

अध्याय II - क्षेत्रीय भाषाएँ

अनुच्छेद 345. किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएँ-

अनुच्छेद 346 और 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक को, या हिंदी को, उस राज्य के सभी या किन्हीं भी राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अपना सकेगा:

परन्तु जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

अनुच्छेद 346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि के लिए राजभाषाएं-

संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि के लिए राजभाषा होगी :

परन्तु यदि दो या अधिक राज्य इस बात पर सहमत हों कि उन राज्यों के बीच पत्रव्यवहार की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रव्यवहार के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

(e) any other matter referred to the Commission by the President as regards the official language of the Union and the language for communication between the Union and a State or between one State and another and their use.

(3) In making their recommendations under clause (2), the Commission shall have due regard to the industrial, cultural and scientific advancement of India, and the just claims and the interests of persons belonging to the non-Hindi speaking areas in regard to the public services.

(4) There shall be constituted a Committee consisting of thirty members, of whom twenty shall be members of the House of the People and ten shall be members of the Council of States to be elected respectively by the members of the House of the People and the members of the Council of States in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(5) It shall be the duty of the Committee to examine the recommendations of the Commission constituted under clause (1) and to report to the President their opinion thereon.

(6) Notwithstanding anything in article 343, the President may, after consideration of the report referred to in clause (5), issue directions in accordance with the whole or any part of that report.

Chapter II – Regional Languages

Article 345. Official Language or Languages of a state

Subject to the provisions of articles 346 and 347, the Legislature of a State may by law adopt any one or more of the language in use in the State or Hindi as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of that State:

Provided that, until the Legislature of the State otherwise provides by law, the English language shall continue to be used for those official purposes within the State for which it was being used immediately before the commencement of this Constitution.

Article 346. Official Language for communication between one state and another or between state and the Union

The language for the time being authorised for use in the Union for official purposes shall be the official language for communication between one State and another State and between a State and the Union:

Provided that if two or more States agree that the Hindi language should be the official language for communication between such States, that language may be used for such communication.

अनुच्छेद 347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध--
यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

अध्याय 3 - उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

अनुच्छेद 348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा—

(।) इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक--
(क) उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी,
(ख) (i) संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के,
(ii) संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के ,और
(iii) इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के, प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे।

(2) खंड(1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगाः
परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी।

(3) खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी राज्य के विधान-मंडल ने, उस विधान-मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (iv) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

Article 347. Special provision relating to language spoken by a section of the population of a state --
On a demand being made in that behalf the President may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a State desire the use of any language spoken by them to be recognised by that State, direct that such language shall also be officially recognised throughout that State or any part thereof for such purpose as he may specify.

Chapter 3 – Languages of the Supreme Court, High Courts, etc.
Article 348. Languages to be used in the Supreme Court and in the High Courts and for Act, Bills etc. —

(1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, until Parliament by law otherwise provides—

(a) all proceedings in the Supreme Court and in every High Court,

(b) the authoritative texts—

(i) of all Bills to be introduced or amendments thereto to be moved in either House of Parliament or in the House or either House of the Legislature of a State,

(ii) of all Acts passed by Parliament or the Legislature of a State and of all Ordinances promulgated by the President or the Governor of a State, and

(iii) of all orders, rules, regulations and bye-laws issued under this Constitution or under any law made by Parliament or the Legislature of a State, shall be in the English language.

(2) Notwithstanding anything in sub-clause (a) of clause (1), the Governor of a State may, with the previous consent of the President, authorise the use of the Hindi language, or any other language used for any official purposes of the State, in proceedings in the High Court having its principal seat in that State:

Provided that nothing in this clause shall apply to any judgment, decree or order passed or made by such High Court.

(3) Notwithstanding anything in sub-clause (b) of clause (1), where the Legislature of a State has prescribed any language other than the English language for use in Bills introduced in, or Acts passed by, the Legislature of the State or in Ordinances promulgated by the Governor of the State or in any order, rule, regulation or bye-law referred to in paragraph (iii) of that sub-clause, a translation of the same in the English language published under the authority of the Governor of the State in the Official Gazette of that State shall be deemed to be the authoritative text thereof in the English language under this article.

अनुच्छेद 349. भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया--

इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि के दौरान, अनुच्छेद 348 के खंड (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुरःस्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड (4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् ही देगा, अन्यथा नहीं।

<u>अध्याय 4-- विशेष निर्देश</u>

अनुच्छेद 350. व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा--

प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 350 क. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं--

प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

अनुच्छेद 350 ख. भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी—

भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।

विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।

अनुच्छेद 351. हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश—

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

Article 349. Special procedure for enactment of certain laws relating to language--

During the period of fifteen years from the commencement of this Constitution, no Bill or amendment making provision for the language to be used for any of the purposes mentioned in clause (1) of article 348 shall be introduced or moved in either House of Parliament without the previous sanction of the President, and the President shall not give his sanction to the introduction of any such Bill or the moving of any such amendment except after he has taken into consideration the recommendations of the Commission constituted under clause (1) of article 344 and the report of the Committee constituted under clause (4) of that article.

Chapter 4– Special Directives

Article 350. Language to be used in representations for redress of grievances- Every person shall be entitled to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the Union or a State in any of the languages used in the Union or in the State, as the case may be.

Article 350A. Facilities for instruction in mother-tongue at the primary stage - It shall be the endeavor of every State and of every local authority within the State to provide adequate facilities for instruction in the mother-tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups; and the President may issue such directions to any State as he considers necessary or proper for securing the provision of such facilities.

Article 350B. Special Officer for linguistic minorities-

There shall be a Special Officer for linguistic minorities to be appointed by the President.

It shall be the duty of the Special officer to investigate all matters relating to the safeguards provided for linguistic minorities under this Constitution and report to the President upon those matters at such intervals as the President may direct, and the president shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament and sent to the Government of the States concerned.

Article 351. Directive for development of the Hindi language- It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expressions used in Hindustani and in the other languages of India specified in the Eighth Schedule, and by drawing, wherever necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages.

राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित 1967)

उन भाषाओं का, जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के संव्यवहार, केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेंगी, उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौदहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- (1) यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम, 1963 कहा जा सकेगा।

(2) धारा 3 जनवरी, 1965 के 26वें दिन को प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीख नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएं- इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'नियत दिन' से, धारा 3 के संबंध में, जनवरी, 1965 का 26वां दिन अभिप्रेत है और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के संबंध में वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन को वह उपबंध प्रवृत्त होता है;

(ख) 'हिन्दी' से वह हिन्दी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है।

3. संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का बना रहना- (1) संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने पर भी, हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा, नियत दिन से ही,—

(क) संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए यह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लाई जाती थी; तथा
(ख) संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए, प्रयोग में लाई जाती रह सकेगी:
परंतु संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाएगीः
परंतु यह और कि जहां किसी ऐसे राज्य के, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है और किसी अन्य राज्य के, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, बीच पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी को प्रयोग में लाया जाता है, वहां हिन्दी में ऐसे पत्रादि के साथ-साथ उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जाएगा:

THE OFFICIAL LANGUAGE , 1963 (AS AMENDED 1967)

An Act to provide for the languages which may be used for the official purposes of the Union, for transaction of business in Parliament, for Central and State Acts and for certain purposes in High Courts.

Be it enacted by Parliament in the Fourteenth Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title and Commencement– (1) This Act may be called the Official Languages Act, 1963.

(2) Section 3 shall come into force on the 26th day of January, 1965 and the remaining provisions of this Act shall come into force on such date@ as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint and different dates may be appointed for different provisions of this Act.

2. Definitions.– In this Act, unless the context otherwise requires,–

(a) "appointed day", in relation to section 3, means the 26th day of January, 1965 and in relation to any other provision of this Act, means the day on which that provision comes into force;

(b) "Hindi" means Hindi in Devanagari Script.

3. Continuance of English Language for official purposes of the Union and for use in Parliament.–

(1) Notwithstanding the expiration of the period of fifteen years from the commencement of the Constitution, the English language may, as from the appointed day, continue to be used in addition to Hindi,-

(a) for all the official purposes of the Union for which it was being used immediately before that day; and

(b) for the transaction of business in Parliament:

Provided that the English language shall be used for purposes of communication between the Union and a State which has not adopted Hindi as its Official Language:

Provided further that where Hindi is used for purposes of communication between one State which has adopted Hindi as its official language and another State which has not adopted Hindi as its Official Language, such communication in Hindi shall be accompanied by a translation of the same in the English language:

परंतु यह और भी कि इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे राज्य को, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संघ के साथ या किसी ऐसे राज्य के साथ, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है, या किसी अन्य राज्य के साथ, उसकी सहमति से, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी को प्रयोग में लाने से निवारित करती है, और ऐसे किसी मामले में उस राज्य के साथ पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बाध्यकर न होगा ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी या अंग्रेजी भाषा—

(i) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और दूसरे मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के बीच;

(ii) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी या उसके किसी कार्यालय के बीच;

(iii) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी या उसके किसी कार्यालय के और किसी अन्य ऐसे निगम या कंपनी या कार्यालय के बीच; प्रयोग में लाई जाती है वहां उस तारीख तक, जब तक पूर्वोक्त संबंधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय या निगम या कंपनी का कर्मचारीवृन्द हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, ऐसे पत्रादि का अनुवाद, यथास्थिति, अंग्रेजी भाषा या हिन्दी में भी दिया जाएगा।

(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, हिन्दी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही-

(i) संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं या किए जाते हैं;

(ii) संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागजपत्रों के लिए;

(iii) केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिए तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा-प्ररूपों के लिए, प्रयोग में लाई जाएंगी।

Provided also that nothing in this sub-section shall be construed as preventing a State which has not adopted Hindi as its official language from using Hindi for purposes of communication with the Union or with a State which has adopted Hindi as its official language, or by agreement with any other State, and in such a case, it shall not be obligatory to use the English language for purposes of communication with that State.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where Hindi or the English Language is used for purposes of communication–

(i) between one Ministry or Department or office of the Central Government and another;

(ii) between one Ministry or Department or office of the Central Government and any corporation or company owned or controlled by the Central Government or any office thereof;

(iii) between any corporation or company owned or controlled by the Central Government or any office thereof and another, a translation of such communication in the English language or, as the case may be, in Hindi shall also be provided till such date as the staff of the concerned Ministry, Department, office or the corporation or company aforesaid have acquired a working knowledge of Hindi.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), both Hindi and the English language shall be used for–

(i) resolutions, general orders, rules, notifications, administrative or other reports or press communiqués issued or made by the Central Government or by a Ministry, Department or office thereof or by a corporation or company owned or controlled by the Central Government or by any office of such corporation or company;

(ii) administrative and other reports and official papers laid before a House or the Houses of Parliament;

(iii) contracts and agreements executed, and licenses, permits, notices and forms of tender issued, by or on behalf of the Central Government or any Ministry, Department or office thereof or by a corporation or company owned or controlled by the Central Government or by any office of such corporation or company.

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि केन्द्रीय सरकार धारा 8 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उस भाषा या उन भाषाओं का उपबंध कर सकेगी जिसे या जिन्हें संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए, जिसके अन्तर्गत किसी मंत्रालय, विभाग, अनुभाग या कार्यालय का कार्यकरण है, प्रयोग में लाया जाना है और ऐसे नियम बनाने में राजकीय कार्य के शीघ्रता और दक्षता के साथ निपटारे का तथा जन साधारण के हितों का सम्यक ध्यान रखा जाएगा और इस प्रकार बनाए गए नियम विशिष्टतया यह सुनिश्चित करेंगे कि जो व्यक्ति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा कर रहे हैं और जो या तो हिन्दी में या अंग्रेजी भाषा में प्रवीण हैं वे प्रभावी रूप से अपना काम कर सकें और यह भी कि केवल इस आधार पर कि वे दोनों ही भाषाओं में प्रवीण नहीं है उनका कोई अहित नहीं होता है।

(5) उपधारा (1) के खंड (क) के उपबंध और उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4), के उपबंध तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसी सभी राज्यों के विधान मंडलों द्वारा, जिन्होंने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते और जब तक पूर्वोक्त संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात् ऐसी समाप्ति के लिए संसद के हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता।

4. राजभाषा के संबंध में समिति- (1) जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होती है उससे दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात, राजभाषा के संबंध में एक समिति, इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर, गठित की जाएगी।

(2) इस समिति में तीस सदस्य होंगे जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्य सभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

(3) इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करे और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करे और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के हर एक सदन के समक्ष रखवाएगा और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएगा ।

(4) राष्ट्रपति उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारों ने यदि कोई मत अभिव्यक्त किए हों तो उन पर विचार करने के पश्चात् उस समस्त प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा:

[परन्तु इस प्रकार निकाले गए निदेश धारा 3 के उपबंधों से असंगत नहीं होंगे ।]

(4) Without prejudice to the provisions of sub-section (1) or sub-section (2) or sub-section (3), the Central Government may, by rules made under section 8, provide for the language or languages to be used for the official purpose of the Union, including the working of any Ministry, Department, Section or Office and in making such rules, due consideration shall be given to the quick and efficient disposal of the official business and the interests of the general public and in particular, the rules so made shall ensure that persons serving in connection with the affairs of the Union and having proficiency either in Hindi or in the English language may function effectively and that they are not placed at a disadvantage on the ground that they do not have proficiency in both the languages.

(5) The provisions of clause (a) of sub-section (1), and the provisions of sub-section (2), sub-section (3) and sub-section (4) shall remain in force until resolutions for the discontinuance of the use of the English language for the purposes mentioned therein have been passed by the legislatures of all the States which have not adopted Hindi as their Official Language and until after considering the resolutions aforesaid, a resolution for such discontinuance has been passed by each House of Parliament.

4. Committee on Official Language.– (1) After the expiration of ten years from the date on which section 3 comes into force, there shall be constituted a Committee on Official language, on a resolution to that effect being moved in either House of Parliament with the previous sanction of the President and passed by both Houses.

(2) The Committee shall consist of thirty members, of whom twenty shall be members of the House of the people and ten shall be members of the Council of States, to be elected respectively the members of the House of the People and the members of the Council of States in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(3) It shall be the duty of the Committee to review the progress made in the use of Hindi for the official purposes of the Union and submit a report to the President making recommendations thereon and the President shall cause the report to be laid before each House of Parliament, and sent to all the State Governments.

(4) The President may, after consideration of the report referred to in sub-section (3), and the views, if any, expressed by the State Government thereon, issue directions in accordance with the whole or any part of that report:

[Provided that the direction so issued shall not be inconsistent with the provisions of section 3.]

5. केन्द्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद-

(1) नियत दिन को और उसके पश्चात् शासकीय राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित-

(क) किसी केन्द्रीय अधिनियम का या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश का, अथवा

(ख) संविधान के अधीन या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का, हिन्दी में अनुवाद उसका हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

(2) नियत दिन से ही उन सब विधेयकों के, जो संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किए जाने हों और उन सब संशोधनों के, जो उनके संबंध में संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाने हों, अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ-साथ उनका हिन्दी में अनुवाद भी होगा जो ऐसी रीति से प्राधिकृत किया जाएगा, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।

6. कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद- जहां किसी राज्य के विधान-मंडल ने उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में प्रयोग के लिए हिन्दी से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां, संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) द्वारा अपेक्षित अंग्रेजी भाषा में उसके अनुवाद के अतिरिक्त, उसका हिन्दी में अनुवाद उस राज्य के शासकीय राजपत्र में, उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से, नियत दिन को या उसके पश्चात् प्रकाशित किया जा सकेगा और ऐसी दशा में ऐसे किसी अधिनियम या अध्यादेश का हिन्दी में अनुवाद हिन्दी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

7. उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में हिन्दी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग- नियत दिन से ही या तत्पश्चात् किसी भी दिन से किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहां कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है वहां उसके साथ- साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा।

8. नियम बनाने की शक्ति – (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

5. Authorized Hindi translation of Central Acts, etc.– (1) A translation in Hindi published under the authority of the President in the Official Gazette on and after the appointed day,–

(a) of any Central Act or of any Ordinance promulgated by the President, or

(b) of any order, rule, regulation or by-law issued under the Constitution or under any central Act, shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi.

(2) As from the appointed day, the authoritative text in the English language of all Bills to be introduced or amendments thereto to be moved in either House of Parliament shall be accompanied by a translation of the same in Hindi authorized in such manner as may be prescribed by rules made under this Act.

6. Authorised Hindi translation of State Acts in certain cases.– Where the Legislature of a State has prescribed any language other than Hindi for use in Acts passed by the Legislature of the State or in Ordinances promulgated by the Governor of the State, a translation of the same in Hindi, in addition to a translation thereof in the English language as required by clause (3) of article 348 of the Constitution, may be published on or after the appointed day under the authority of the Governor of the State in the Official Gazette of the State and in such a case, the translation in Hindi or any such Act or Ordinance shall be deemed to be the authoritative text thereof in the Hindi language.

7. Optional use of Hindi or other Official language in judgements, etc., of High Courts.– As from the appointed day or any day thereafter the Governor of a State may, with the previous consent of the President, authorise the use of Hindi or the official language of the State, in addition to the English language, for the purposes of any judgement, decree or order passed or made by the High Court for that State and where any judgement, decree or order is passed or made in any such language (other than the English language), it shall be accompanied by a translation of the same in the English language issued under the authority of the High Court.

8. Power to make rules.– (1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के हर एक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। वह अवधि एक सत्र में, अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रुप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात यह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

9. [कतिपय उपबंधों का जम्मू-कश्मीर को लागू न होना]- जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (केन्द्रीय विधियों का अनुकूलन) आदेश, 2020 [अधिसूचना सं. का.आ. 1123(अ), तारीख 18-3-2020] तथा लद्दाख पुनर्गठन (केन्द्रीय विधियों का अनुकूलन) आदेश, 2020 [अधिसूचना सं. का.आ. 3774(अ) तारीख 23-10-2020] द्वारा लोप किया गया।

(2) Every rule made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or @#[in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid], both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

9. [Certain provisions not to apply to Jammu and Kashmir.]– Omitted by the Jammu and Kashmir Reorganization (Adaptation of Central Laws) Order, 2020, vide notification No. S.O. 1123(E) dated (18-3-2020) and vide Union Territory of Ladakh Reorganisation (Adaptation of Central Laws) Order, 2020, notification No. S.O. 3774(E), dated (23-10-2020).

राजभाषा संकल्प, 1968
गृह मंत्रालय
नई दिल्ली, दिनांक 18 जनवरी 1968

संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित निम्नलिखित सरकारी संकल्प आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है-

संकल्प

"जब संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रसार, वृद्धि करना और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, संघ का कर्तव्य है:

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एंव विकास की गति बढ़ाने के हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी और सब राज्य सरकारों को भेजी जाएगी ।

2. जबकि संविधान की आठवीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त भारत की 21 मुख्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और देश की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के पूर्ण विकास हेतु सामूहिक उपाए किए जाने चाहिए:

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के साथ-साथ इन सब भाषाओं के समन्वित विकास हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा ताकि वे शीघ्र समृद्ध हो और आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बनें।

3. जबकि एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रि-भाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णत कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी किया जाना चाहिए:

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा के, दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए, और अहिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबन्ध किया जाना चाहिए ।

4. और जबकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संघ की लोक सेवाओं के विषय में देश के विभिन्न भागों के लोगों के न्यायोचित दावों और हितों का पूर्ण परित्राण किया जाए;

THE OFFICIAL LANGUAGE RESOLUTION, 1968
Ministry of Home Affairs
New Delhi, the 18th January, 1968

The following Government Resolution, as adopted by both Houses of Parliament, is hereby published for general information:-

RESOLUTION

"WHEREAS under article 343 of the Constitution, Hindi shall be the official language of the Union, and under article 351 thereof it is the duty of the Union to promote the spread of the Hindi Language and to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India;

This House resolves that a more intensive and comprehensive programme shall be prepared and implemented by the Government of India for accelerating the spread and development of Hindi and its progressive use for the various official purposes of the Union and an annual assessment report giving details of the measures taken and the progress achieved shall be laid on the Table of both Houses of Parliament and sent to all State Governments;

2. WHEREAS the Eighth Schedule of the Constitution specifies 14 major languages of India besides Hindi, and it is necessary in the interest of the educational and cultural advancement of the country that concerted measures should be taken for the full development of these languages;

The House resolves that a programme shall be prepared and implemented by the Government of India, in collaboration with the State Governments for the coordinated development of all these languages, alongside Hindi so that they grow rapidly in richness and become effective means of communicating modern knowledge;

3. WHEREAS it is necessary for promoting the sense of unity and facilitating communication between people in different parts of the country that effective steps should be taken for implementing fully in all States the three-language formula evolved by the Government of India in consultation with the State Government;

This House resolves that arrangements should be made in accordance with that formula for the study of a modern Indian language, preferably one of the Southern languages, apart from Hindi and English in the Hindi speaking areas and of Hindi along with the regional languages and English in the non-Hindi speaking areas;

4. AND WHEREAS it is necessary to ensure that the just claims and interest of people belonging to different parts of the country in regard to the public services of the Union are fully safeguarded:

यह सभा संकल्प करती है कि-

(क) कि उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़कर जिनके लिए ऐसी किसी सेवा अथवा पद के कर्त्तव्यों के संतोषजनक निष्पादन हेतु केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिंदी अथवा दोनों जैसी कि स्थिति हो, का उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाए, संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यत होगा; और

(ख) कि परीक्षाओं की भावी योजना, प्रक्रिया संबंधी पहलुओं एवं समय के विषय में संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात अखिल भारतीय एवं उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति होगी ।"

This House resolves –

(a) that compulsory knowledge of either Hindi or English shall be required at the stage of selection of candidates for recruitment to the Union services or posts except in respect of any special services or posts for which a high standard of knowledge of English alone or Hindi alone, or both, as the case may be, is considered essential for the satisfactory performance of the duties of any such service or post; and

(b) that all the languages included in the Eighth Schedule to the Constitution and English shall be permitted as alternative media for the All India and higher Central Services examinations after ascertaining the views of the Union Public Service Commission on the future scheme of the examinations, the procedural aspects and the timing.

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987, 2007 तथा 2011)

सा.का.नि. 1052 --राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

I. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ--

(I) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 है।

(2) इनका विस्तार, तमिलनाडु राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं-- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः-

(क) 'अधिनियम' से राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) अभिप्रेत है;

(ख) 'केन्द्रीय सरकार के कार्यालय' के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है, अर्थातः-

(i) केन्द्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय;

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय; और

(iii) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कम्पनी का कोई कार्यालय;

(ग) 'कर्मचारी' से केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) 'अधिसूचित कार्यालय' से नियम 10 के उपनियम (4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय, अभिप्रेत है;

(ङ) 'हिन्दी में प्रवीणता' से नियम 9 में वर्णित प्रवीणता अभिप्रेत है ;

(च) 'क्षेत्र क' से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड़, उत्तराखंड राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

(छ) 'क्षेत्र ख' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं;

(ज) 'क्षेत्र ग' से खंड (च) और (छ) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

(झ) हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान' से नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान अभिप्रेत है।

THE OFFICIAL LANGUAGE (USE FOR OFFICIAL PURPOSE OF THE UNION) RULES, 1976 (AS AMENEDED, 1987, 2007 & 2011)

G.S.R 1052 - In exercise of the powers conferred by section 8, read with sub-section(4) of section 3 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely ;

1. **Short title, extent and commencement** -

(1) These rules may be called the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976.

(2) They shall extend to the whole of India, except the State of Tamilnadu.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions - In these rules, unless the context otherwise requires : -

(a) "Act" means the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):

(b) "Central Government Office" includes :-

(i) any Ministry, Department or office of the Central Government,

(ii) any office of a Commission, Committee or Tribunal appointed by the Central Government; and

(iii) any office of a corporation or company owned or controlled by the Central Government ;

(c) "Employee" means any person employed in a Central Government office;

(d) "Notified Office" means an office notified under sub-rule (4) of rule 10 ;

(e) "Proficiency in Hindi " means proficiency in Hindi as described in rule 9 ;

(f) "Region A" means the States of Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Uttarakhand, Rajasthan and Uttar Pradesh and the Union Territories of Delhi and Andaman and Nicobar Islands;

(g) "Region B" means the States of Gujarat, Maharashtra and Punjab and the Union Territory of Chandigarh, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli ;

(h) "Region C" means the States and the Union Territories other than those referred to in clauses (f) and (g);

(i) "Working knowledge of Hindi" means working knowledge of Hindi as described in rule 10.

3. राज्यों आदि और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि-

1. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिन्दी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

2. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से—

(क़) क्षेत्र 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) को पत्रादि सामान्यतया हिन्दी में होंगे और यदि इनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगाः

परन्तु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के लिए आशयित पत्रादि संबद्ध राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिन्दी में भेजे जाए और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएंगे ;

(ख) क्षेत्र 'ख' के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।

3. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ग' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे।

4. उप नियम (।) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, क्षेत्र 'ग' में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' या' ख' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं।

परन्तु हिन्दी में पत्रादि ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समेय पर अवधारित करे।

3. **Communications to States etc. other than to Central Government offices,-**

(1) Communications from a Central Government office to a State or a Union Territory in Region "A" or to any office (not being a Central Government office) or person in such State or Union Territory shall, save in exceptional cases, be in Hindi, and if any communication is issued to any of them in English it shall be accompanied by a Hindi translation thereof.

(2) Communications from a Central Government office :-

(a) to a State or Union Territory in Region "B" or to any office (not being a Central Government office) in such State or Union Territory shall ordinarily be in Hindi and if any communication is issued to any of them in English, it shall be accompanied by a Hindi translation thereof ;

Provided that if any such State or Union Territory desires the communications of any particular class or category or those intended for any of its offices, to be sent for a period specified by the Government of the State or Union Territory concerned, in English, or in Hindi with a translation in the other language, such communication shall be sent in that manner ;

(b) to any person in a State or Union Territory of Region "B" may be either in Hindi or English.

3. Communications from a Central Government office to State or Union Territory in Region "C" or to any office (not being a Central Government office) or person in such State shall be in English.

4. Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2), communications from a Central Government office in Region "C" to a State or Union Territory of Region "A" or Region "B" or to any office (not being a Central Government office) or person in such State may be either in Hindi or in English.

Provided that communications in Hindi shall be in such proportion as the Central Government may, having regard to the number of persons having working knowledge of Hindi in such offices, the facilities for sending communications in Hindi and matters incidental thereto determine from time to time.

4. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि-

(क) केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र 'क' में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार, ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर अवधारित करे;

(ग) क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच, जो खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट कार्यालयों से भिन्न हैं, पत्रादि हिन्दी में होंगे;

(घ) क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे;

(ङ) क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे;

परन्तु जहां ऐसे पत्रादि--

(i) क्षेत्र 'क' या क्षेत्र 'ख' किसी कार्यालय को संबोधित हैं वहां यदि आवश्यक हो तो, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा;

(ii) क्षेत्र 'ग' में किसी कार्यालय को संबोधित है वहां, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, उनके साथ भेजा जाएगा;

परन्तु यह और कि यदि कोई पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है तो दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

4. **Communications between Central Government Offices communications.**

a. Between one Ministry or Department of the Central Government and another may be in Hindi or in English ;

b. Between one Ministry or Department of the Central Government and attached or subordinate offices situated in Region "A", shall be in Hindi and in such proportion as the Central Government may, having regard to the number of persons having a working knowledge of Hindi in such offices, the facilities for sending communications in Hindi and matters incidental thereto, determine from time to time;

c. Between Central Government offices situated in Region "A", other than those specified in clause (a) or clause (b), shall be in Hindi;

d. Between Central Government offices situated in Region "A" and offices in Region "B" or Region "C" may be in Hindi or in English:

Provided that these communications shall be in Hindi in such proportion as the Central Government may, having regard to the number of persons having working knowledge of Hindi in such offices, the facilities for sending communications in Hindi and matters incidental thereto, determine from time to time:

e. Between Central Government offices situated in Region "B" or Region "C" may be in Hindi or English ;

Provided that these communications shall be in Hindi in such proportion as the Central Government may, having regard to the number of persons having working knowledge of Hindi in such offices, the facilities for sending communications in Hindi and matters incidental thereto, determine from time to time ;

Provided that a translation of such communication in the other language shall:-

(i) Where that communication is addressed to an office in Region "A" or Region "B", be provided, if necessary, at the receiving end ;

(ii) where the communication is addressed to an office in Region "C", be provided alongwith such communication ;

Provided further that no such translation in the other language shall be required to be provided if the communication is addressed to a notified office.

5. हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर—

नियम 3 और नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी, हिन्दी में पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से हिन्दी में दिए जाएंगे।

6. हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग-

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसी दस्तावेजें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार की जाती हैं, निष्पादित की जाती हैं और जारी की जाती हैं।

7. आवेदन, अभ्यावेदन आदि-

(1) कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है।

(2) जब उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में किया गया हो या उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए हों, तब उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा।

(3) यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियां भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना, जिसका कर्मचारी पर तामील किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, हिन्दी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक विलम्ब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।

8. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणों का लिखा जाना -

(1) कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पण या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे।

(2) केन्द्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी, जो हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिन्दी में किसी दस्तावेज़ के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है, अन्यथा नहीं।

(3) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा।

(4) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा, जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा।

5. Replies to communications received in Hindi –

Notwithstanding anything contained rules 3 and 4, communications from a Central Government office in reply to communications in Hindi shall be in Hindi.

6. Use of both Hindi and English –

Both Hindi and English shall be used for all documents referred to in sub-section (3) of section 3 of the Act and it shall be the responsibility of the persons signing such documents to ensure that such documents are made, executed or issued both in Hindi and in English.

7. Application, representations etc. -

(1) An employee may submit an application, appeal or representation in Hindi or in English.

(2) Any Application, appeal or representation referred to in sub-rule (1) when made or signed in Hindi, shall be replied to in Hindi.

(3) Where an employee desires any order or notice relating to service matters (including disciplinary proceedings) required to be served on him to be in Hindi, or as the case may be, in English, it shall be given to him in that language without undue delay.

8. Noting in Central Government offices-

(1) an employee may record a note or minute on a file in Hindi or in English without being himself required to furnish a translation thereof in the other language.

(2) No Central Government employee possessing a working knowledge of Hindi may ask for an English translation of any document in Hindi except in the case of documents of legal or technical nature.

(3) If any question arises as to whether a particular document is of a legal or technical nature, it shall be decided by the Head of the Department or office.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Central Government may, by order specify the notified offices where Hindi alone shall be used for noting, drafting and for such other official purposes as may be specified in the order by employees who possess proficiency in Hindi.

9. **हिन्दी में प्रवीणता-** यदि किसी कर्मचारी ने-

(क) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है;या

(ख) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो; या

(ग) यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है; तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

10. हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान- (I) (क) यदि किसी कर्मचारी ने-

(i) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है;या

(ii) केन्द्रीय सरकार की हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के सम्बन्ध में उस योजना के अन्तर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

(ख) यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है; तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिन्दी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

(3) केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार दवारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं।

(4) केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएगे;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रेखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख में से उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना दवारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा।

9. **Proficiency in Hindi –** An employee shall be deemed to possess proficiency in Hindi if:-

(a) he has passed the Matriculation or any equivalent or higher examination with Hindi as the medium of examination ; or

(b) he has taken Hindi as an elective subject in the degree examination or any other examination equivalent to or higher than the degree examination; or

(c) he declares himself to possess proficiency in Hindi in the form annexed to these rules.

10. **Working knowledge of Hindi-**

(1) An employee shall be deemed to have acquired a working knowledge of Hindi -

(a) If he has passed -

i. the Matriculation or an equivalent or higher examination with Hindi as one of the subjects ; or

ii. the Pragya examination conducted under the Hindi Teaching Scheme of the Central Government or when so specified by that Government in respect of any particular category of posts, any lower examination under that Scheme ; or

iii. any other examination specified in that behalf by the Central Government; or

(b) if he declares himself to have acquired such knowledge in the form annexed to these rules.

(2). The Staff of a Central Government office shall ordinarily be deemed to have acquired a working knowledge of Hindi if eighty per cent of the Staff working therein have acquired such knowledge.

(3) The Central Government or any officer specified in this behalf by the Central Government may determine whether the staff of a Central Government office has acquired a working knowledge of Hindi.

(4) The names of the Central Government offices, the staff whereof have acquired a working knowledge of Hindi, shall be notified in the Official Gazette:

Provided that the Central Government may if it is of opinion that the percentage of the staff working in a notified office and having a working knowledge of Hindi has gone below the percentage specified in sub-rule (2) from any date, it may, by notification in the Official Gazette, declare that the said office shall cease to be a notified office from that date.

11. मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि-

(1) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्ररूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे।

(3) केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकती है।

12. अनुपालन का उत्तरदायित्व-

1. केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह—

(i) यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है; और

(ii) इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करे।

2. केन्द्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निदेश जारी कर सकती है।

11. **Manuals, Codes, other procedural literature, articles of Stationery, etc.-**

(1) All manuals, codes and other procedural literature relating to Central Government offices shall be printed or cyclostyled, as the case may be, and published both in Hindi and English in diglot form.

(2) The forms and headings of registers used in any Central Government office shall be in Hindi and in English.

(3) All name-plates, sign-boards, letter-heads and inscriptions on envelopes and other items of stationery written, printed or inscribed for use in any Central Government office, shall be in Hindi and in English:

Provided that the Central Government may, if it is considered necessary to do by general or special order exempt any Central Government office from all or any of the provisions of this rule.

12. **Responsibility for compliance-** (1) It shall be the responsibility of the administrative head of each Central Government office-

i. to ensure that the provisions of the Act and these rules and directions issued under Rule (2) are properly complied with ; and

ii. to devise suitable and effective check-point for this purpose.

(2) The Central Government may from time to time issue such directions to its employees and offices as may be necessary for the due compliance of the provisions of the Act and these rules.

[भारत का राजपत्र, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक: अगस्त, 2007

<u>अधिसूचना</u>

का.आ. (अ). -- केन्द्रीय सरकार , राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम , 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) संशोधन नियम , 2007 है ।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 में -

नियम 2 के खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“क्षेत्र क” से बिहार, छत्तीसगढ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र’ अभिप्रेत हैं; ’

[(फा.सं. I/14034/02/2007-रा.भा.(नीति-1)]

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Home Affairs
Department of Official Language

***

New Delhi, Date: August, 2007

NOTIFICATION

G. S. R. In exercise of the powers conferred by section 8, read with sub-section (4) of section 3 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963) , the Central Government hereby make the following rules further to amend the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, namely:-

1. (i) These rules may be called the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Amendment Rules, 2007.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules 1976, for clause (f) of rule 2, the following clause shall be substituted, namely:-

"Region A" means the States of Bihar, Chhattisgarh, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttrakhand and National Capital Territory of Delhi, and the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands;'

(File No. I/14034/02/2007-O.L. (Policy-1)

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित]

पृष्ठ संख्या 576-577

दिनांक 14-5-2011

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, 4 मई, 2011

अधिसूचना

सा.का.नि. 145 केन्द्रीय सरकार, राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा संशोधन (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 2011 है ।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राजभाषा नियम (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग), 1976 के – नियम 2 के खण्ड के (छ) स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्-:

"क्षेत्र ख" से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं;'

[(फा.सं.I/14034/02/2010-रा.भा. (नीति-1)]

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि.संख्यांक 1052 तारीख 17 जुलाई, 1976 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि.संख्यांक 790, तारीख 24 अक्तूबर, 1987 तथा सा.का.नि.संख्यांक 162 तारीख 03 अगस्त, 2007 द्वारा उनमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए।

[PUBLISHED IN THE PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (i) OF THE GAZETTE OF INDIA]
Appearing on Page Nos. 576-577
Dated 14-5-2011
Government of India
Ministry of Home Affairs
Department of Official Language

New Delhi, 4th May, 2011

NOTIFICATION

G.S.R. 145 In exercise of the powers conferred by Section 8, read with sub-section (4) of section 3 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963), the Central Government hereby make the following rules further to amend the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, namely:-

1. (i) These rules may be called the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Amendment Rules, 2011.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules 1976, in rule 2, for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:-

"Region B" means the States of Gujarat, Maharashtra and Punjab and the Union territories of Chandigarh, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli;'

(F. No. I/4034/02/2010-O.L. (Policy-1)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 1052, dated the 17th July, 1976 and subsequently amended vide numbers G.S.R. 790, dated the 24th October, 1987 and G.S.R.162, dated the 3rd August, 2007.

राजभाषा वर्गीकरण का मानचित्र
Map of Official Language Classification

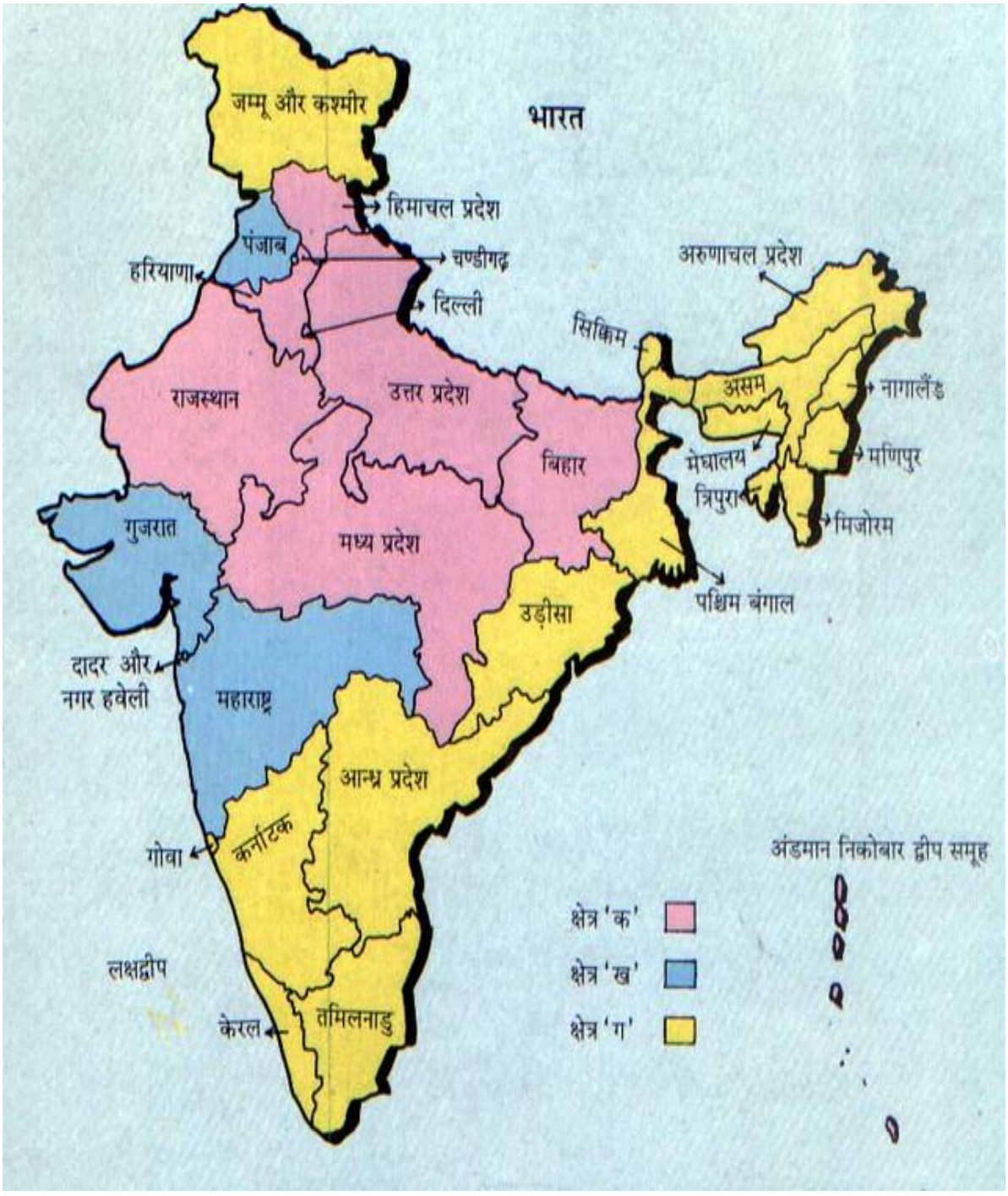

संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ
22 Languages in the Eighth Schedule of the Constitution

असमिया	Assamese
बंगाली	Bengali
बोडो	Bodo
डोगरी	Dogri ,
गुजराती	Gujarati
हिंदी	Hindi
कन्नड़	Kannada
कश्मीरी	Kashmiri
कोंकणी	Konkani
मैथिली	Maithili
मलयालम	Malayalam
मणिपुरी	Manipuri
मराठी	Marathi
नेपाली	Nepali
उड़िया	Odia
पंजाबी	Punjabi
संस्कृत	Sanskrit
संथाली	Santali
सिंधी	Sindhi
तमिल	Tamil
तेलुगु	Telugu
उर्दू	Urdu

राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निदेश

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट व सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र द्विभाषिक रूप में, अंग्रेजी और हिंदी, दोनों में जारी किए जाएं। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 6 के अंतर्गत ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का दायित्व यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार, निष्पादित अथवा जारी किए जाएं।

2. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों से हिंदी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना है।

3. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसार केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत कार्मिकों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं।

4. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अनुसार केंद्र सरकार, ऐसे अधिसूचित कार्यालयों के हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को टिप्पण, प्रारुपण और अन्य उन शासकीय कार्यों को केवल हिंदी में करने के लिए आदेश जारी कर सकती है, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट हो।

5. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अनुसार सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया साहित्य, रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक, नामपट्ट, साइन बोर्ड, पत्र शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में होंगी। तदनुसार, केंद्र सरकार के कार्यालयों से अपेक्षा है कि वे सभी मैनुअल, संहिताओं, एवं प्रक्रिया संबंधी असांविधिक साहित्य से संबंधित अन्य प्रक्रियात्मक साहित्य अनुवाद के लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में भेजें।

6. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम के प्रावधानों तथा इनके अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो तथा इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त एवं प्रभावकारी जांच बिंदु बनाए जाएं।

7. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय हिंदी समिति की 31 वीं बैठक के कार्यवृत्त में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए सुझावों पर पुनः बल दिया है। ये सुझाव हैं:- सरकारी हिंदी और सामाजिक हिंदी के अंतर को कम करना, देश की दूसरी भाषाओं से हिंदी को और समृद्ध करने के लिए उपाय करना, दूसरी भाषाओं के अच्छे शब्दों को हिंदी में ग्रहण करना, दूसरी भारतीय भाषाओं से अच्छे शब्दों को खोजकर हिंदी भाषा में जोड़ना, हिंदी में अनुवाद सरल भाषा में सुनिश्चित करना जिससे सरकारी भाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में बाधक नहीं, सहायक हो।

Important Directions regarding Official Language Policy

1. Under Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963, Resolutions, General Orders, Rules, Notifications, Administrative and Other Reports, Press Communiqués, Administrative and Other Reports and Official Papers to be laid before a House or Houses of Parliament, Contract, Agreements, Licenses, Permits, Tender Notices and Tender Forms should invariably be issued bilingually both in Hindi and English. Under Rule 6 of the Official Language Rules, 1976, it shall be the responsibility of the person signing such documents to ensure that such documents are prepared, executed or issued in both Hindi and English languages,

2. As per Rule 5 of Official Language Rules, 1976, communications received in Hindi are to be replied in Hindi only by the Central Government Offices.

3. Under Rule 10(4) of Official Language Rules, 1976, the Central Government Offices are required to notify the names of the offices in the official gazette, wherein 80% of the staff have acquired working knowledge of Hindi. The following items of work should be done in Hindi in the branches of the banks notified under Rule 10 (4) of the Official Language Rules, 1976.

4. Under Rule 8 (4) of the Official Language Rules, 1976, the Central Government Offices to issue orders for the employees of the notified offices who have proficiency in Hindi to work only in Hindi for noting, drafting and for such other official purposes as specified in the order.

5. As per Rule 11 of the Official Language Rules, 1976, all manuals, codes and procedural literature, the forms and headings of registers, name plates, sign boards, letter heads and inscriptions on envelopes and other items of stationary shall be in Hindi and in English. Accordingly, the Central Government Offices are required to send all manuals, codes and other procedural literature relating to Non-Statutory procedural literature to Central Translation Bureau for translation.

6. Rule 12 of the Official Language Rules, 1976 requires the Administrative Head of each Central Government Office to ensure that the provisions of the Official Languages Act, Official Language Rules and directions issued thereunder are properly complied with and to devise suitable and effective check points for this purpose.

7. The Department of Official Language, Ministry of Home Affairs has re-emphasized on the suggestions given by the Hon'ble Prime Minister in the minutes of the 31st meeting of the Central Hindi Committee. These suggestions are: To reduce the gap between official Hindi and Hindi used by public, to take measures to further enrich Hindi through other languages of the country, to adopt good words from other languages in Hindi, to add good words in Hindi from other Indian languages to ensure translation in Hindi in simple language so that Official Language is not a hindrance but a help in the propagation of Hindi.

8. राजभाषा विभाग ने भारत सरकार के सभी सचिवों/विभिन्न सरकारी संगठनों के प्रमुखों से आग्रह किया है कि जब वे प्रत्येक माह वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करें तो वे उनमें हिंदी में सरकारी काम-काज में हुई प्रगति की भी समीक्षा करें और अपने संगठन में राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन के बारे में चर्चा करें। साथ ही, संयुक्त सचिव (प्रशासन)/ संगठन के प्रशासनिक प्रमुख को हिंदी कार्यान्वयन का तथा वर्ष की प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाए।

9. कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा का संवर्ग गठित होना चाहिए, जो कि कुल पदों के अनुरूप हो। मंत्रालयों/विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों के हिंदी पदाधिकारियों को केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के समान वेतनमान व पदनाम दिए जाएं।

10. अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न-पत्र को छोड़कर शेष विषयों के प्रश्न पत्रों के उत्तर हिंदी में भी देने की छूट दी जाए और ऐसे प्रश्न-पत्र द्विभाषी रूप से, हिंदी तथा अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएं। साक्षात्कार या मौखिक परीक्षा में उम्मीदवारों को हिंदी में उत्तर देने की छूट दी जाए।

11. केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा सभी सेवाकालीन, विभागीय तथा पदोन्नति परीक्षाओं में (अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षाओं सहित) अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्रों के उत्तर हिंदी में देने का विकल्प दिया जाए। प्रश्न पत्र अनिवार्यतः दोनों भाषाओं, हिंदी और अंग्रेजी, में तैयार कराए जाएं। जहां साक्षात्कार लिया जाना हो, वहां अभ्यर्थियों को पूछे गए प्रश्नों का उत्तर हिंदी में देने की छूट दी जाए।

12. सभी प्रकार की वैज्ञानिक तकनीकी संगोष्ठियों तथा परिचर्चाओं आदि में वैज्ञानिकों आदि को राजभाषा हिंदी में शोध पत्र पढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। उक्त शोध पत्र संबंधित मंत्रालय/विभाग और कार्यालय आदि के मुख्य विषय से संबंधित हो।

13. सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि हिंदी संगोष्ठी का आयोजन करें।

14. 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में सभी प्रकार का प्रशिक्षण, चाहे वह अल्पावधि का हो अथवा दीर्घावधि का, सामान्यतः हिंदी माध्यम से हो। 'ग' क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराई जाए और प्रशिक्षणार्थी की मांग के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी में उपलब्ध कराई जाए।

8. The Department of Official Language has urged all the Secretaries to the Government of India/Heads of various Government Organizations that when they preside over the meeting of senior officers every month, they should also review the progress made in official work in Hindi in them and discuss about the implementation of various provisions of Official Languages Act and Rules in their organization.In addition, the Joint Secretary (Administration) / Administrative Head of the organization should be entrusted with the responsibility of Hindi implementation and to preside over the meeting of the Official Language Implementation Committee in every quarter of the year.

9. The Official Language Cadre should be constituted in the Offices/Undertakirings/Banks ete, and it should be in conformity with the total posts. The Hindi officers of the subordinate offices of the Ministries/Departments should be given the same pay scale and designation as the Central Secretariat Official Language Service Cadre.

10. The answers of question papers, except that of the compulsory paper of English, should also be allowed to be written in Hindi in recruitment examinations of subordinate services and such question papers should be made available both in Hindi and English. In interview or oral test, the candidates may be allowed the option to answer in Hindi.

11. The candidates should have the option to answer the question papers of all in-service, departmental and promotion examinations (including All India Level Examinations) conducted by the Central Government Offices, in Hindi. The question papers should compulsorily be set in both the languages, Hindi and English. In interviews, the candidates may be allowed to answer the questions in Hindi

12. Scientists ete, should be motivated and encouraged to read their research papers in the Official Language Hindi in all the scientifie/technical seminars and discussions etc. Research papers should relate to the main subjects of the Ministry/ Department and Office concerned.

13. The Central Government Offices may organize Hindi Seminars.

14. Every type of training, whether of long-term or of short term, generally be imparted through Hindi medium in 'A' and 'B' Regions. To impart training in 'C' Region, the training material be prepared both in Hindi and English and made available to the trainces in Hindi or English as per their requirements.

15. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा कोई भी गैर सरकारी संस्था केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राजभाषा का प्रशिक्षण देने के लिए अधिकृत नहीं की गई है। राजभाषा विभाग के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र पहले से ही देश भर में काम कर रहे हैं जो केंद्र सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण निःशुल्क देते हैं एवं राजभाषा पर विचार-विमर्श के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों द्वारा संबंधित कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर 'लीला' राजभाषा के माध्यम से अंग्रेजी के अतिरिक्त 14. भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रशिक्षण ऑनलाइन दिए जाने की सुविधा उपलब्ध है। अतः गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जा रहे राजभाषा के प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए सरकारी कोष से अनावश्यक धन खर्च करना उचित नहीं है।

16. विभिन्न कार्यालयों में हिंदी में कार्य करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यशाला की न्यूनतम अवधि एक कार्य दिवस की होगी। कार्यशाला में न्यूनतम दो तिहाई समय कार्यालय से संबंधित विषयों पर हिंदी में कार्य करने का अभ्यास करवाने में लगाया जाए।

17. केंद्र सरकार के कार्यालयों में जब तक हिंदी टंककों व हिंदी आशुलिपिकों से संबंधित निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लिए जाते, तब तक उनमें केवल हिंदी टंकक व हिंदी आशुलिपिक ही भर्ती किए जाएं।

18. अनुवाद कार्य तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में अनिवार्य अनुवाद प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को भी अनुवाद के प्रशिक्षण के लिए नामित किया जा सकता है, जिन्हें स्नातक स्तर पर हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान हो तथा जिनकी सेवाओं का उपयोग कार्यालय द्वारा अनुवाद कार्य के लिए किया जा सकता है।

19. अनुवादकों को, मानक शब्दकोश (अंग्रेजी-हिंदी व हिंदी-अंग्रेजी) तथा अन्य तकनीकी शब्दावलियां जैसी सहायक सामग्रियां उपलब्ध कराई जाएं।

20. भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रशिक्षण के दौरान हिंदी भाषा का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाता है ताकि सरकारी कामकाज में वे इसका प्रयोग कर सकें। तथापि, अधिकांश अधिकारी सेवा में आने के पश्चात सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग नहीं करते। इससे उनके अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों में सही संदेश नहीं जाता। परिणामस्वरूप, सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग अपेक्षित मात्रा में नहीं हो पाता। केंद्र सरकार के कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों का यह संवैधानिक दायित्व है कि वे सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करें। इससे उनके अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेरणा मिलेगी तथा राजभाषा नीति के अनुपालन में गति आएगी।

15. No Non-Governmental Organization has been authorized to impart training of Official Language to the employees of Central Government Offices by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. Sufficient number of training centers across the country are functioning under the Department of Official Language and they impart various types of training to the officers and employees of the Central Government free of cost and they also organize workshops for deliberations on Official Language. As per the directions of Department of Official Language, all the Central Government Offices organize workshops for encouraging the use of Official Language in their respective offices. Besides English, the facility of imparting online training of Hindi language through 14 Indian languages is available on the website of Department of Official Language. Thus, it is not appropriate to incur infructuous expenditure from the Government exchequer for participation in Official Language training and workshops organized by NGOs.

16. To overcome the difficulties faced by various offices in doing the official work in Hindi, new guidelines have come into effect forthwith to organize Hindi workshops. According to new guidelines, the duration of workshop should be minimum one working day. Minimum two third of the time of workshop shall be devoted to the actual practice of doing the official work in Hindi on the subjects related to that office.

17. On the demand of Central Government offices, Central Hindi Training Institute imparts training for Hindi language, Hindi typing and Hindi Stenography through video conferencing also. Similar arrangements have also been made by Central Translation Bureau for imparting training to translators.

18. Officers/ employees associated with translation work & implementation of Official Language Policy may be nominated for compulsory Translation Training in the Central Translation Bureau. Officers/employees having knowledge of Hindi and English both at degree level whose services are likely to be utilized for translation work by the office may also be nominated for translation training.

19. Translators should be helped out with aids like, standard dictionaries (English-Hindi, Hindi-English) and other technical glossaries.

20. The officers of IAS and other All India Services are imparted compulsory training in Hindi during their training in Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie so that they could make use of it in official work. However, most of the officers do not use Hindi in their official work after joining the service. As such, officials/employees working under them do not get the right message. Consequently, Hindi is not used in official work to the extent required. It is the constitutional obligation on senior officers of the Central Government Offices to make progressive use of Hindi in their official work. This in turn will motivate the officials/employees working under them, thereby giving impetus to the compliance of the Official Language Policy.

21. केंद्र सरकार के सभी कार्यालय हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में भी व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक अधिकारी/कर्मचारी इन योजनाओं का लाभ उठा सकें और सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में हो।

22. केंद्र सरकार के सभी कार्यालय अपने दायित्वों से संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने तथा अपने विषयों से संबधित शब्द भंडार को समृद्ध करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

23. केंद्र सरकार के कार्यालय अपने कार्यालय में हिंदी में कार्य का माहौल तैयार करने के लिए हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रहे हैं। इन पत्रिकाओं में कार्यालय की सामान्य गतिविधियों तथा उस कार्यालय के कामकाज से संबंधित मौलिक आलेख प्रकाशित किए जाएं। साथ ही, राजभाषा नीति के प्रमुख प्रावधानों का भी उल्लेख अवश्य हो। केंद्र सरकार के कार्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन पत्रिकाओं के ई-वर्जन तैयार करें और इन्हें राजभाषा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्लेटफॉर्म 'ई-पत्रिका पुस्तकालय" पर अपलोड करें ताकि गृह-पत्रिकाएं पाठकों को सहज तरीके से प्राप्त हो सकें।

24. यह देखा गया है कि अनेक विभागों द्वारा वेबसाइट पर या तो सूचना हिंदी में नहीं दी जाती या कुछ मामलों में यह पूर्णतया हिंदी में उपलब्ध नहीं है। अतः वेबसाइट हिंदी में विकसित और अद्यतित करवाएं।

25. राजभाषा विभाग द्वारा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से हर वर्ष कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए 5 दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिक से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करें। प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने के बाद प्रशिक्षु कंप्यूटर पर हिंदी में काम कर सकेंगे। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

26. राजभाषा विभाग द्वारा आधुनिक ज्ञान / विज्ञान की विभिन्न विधाओं में मौलिक रूप से हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने एवं राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **"राजभाषा गौरव पुरस्कार"** दिए जाते हैं। राजभाषा के प्रयोग में बेहतर प्रगति दर्ज करने वाले मंत्रालय/विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बोर्ड स्वायत्त निकाय/ ट्रस्ट आदि, राष्ट्रीयकृत बैंक, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा हिंदी गृह पत्रिकाओं के लिए **"राजभाषा कीर्ति पुरस्कार"** राजभाषा विभाग द्वारा दिए जाते हैं। इन दोनों पुरस्कार योजनाओं की जानकारी राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है।

27. राजभाषा विभाग ने अपनी वेबसाइट पर विभिन्न संस्थाओं के लिंक उपलब्ध कराए हैं जिनके माध्यम से इन संस्थाओं की शब्दावली देखी जा सकती है। इस संबंध में यदि कार्यालयों द्वारा कोई अपनी शब्दावली तैयार की गई है तो वे उसे राजभाषा विभाग से साझा करें ताकि अन्य कार्यालय भी लाभान्वित हो सकें।

21. All the Central Government Offices should widely promote and propagate the various incentive schemes in their Offices in order to accelerate the use of Hindi, so that maximum number of officials/employees are benefited by these schemes and maximum official work should be done in Hindi.

22. All the Central Government Offices should encourage writing of original books in Hindi on subjects concerned and take necessary steps to enrich their Departmental Glossaries.

23. Hindi magazines are being published by the Central Government Offices to generate working environment in Hindi. General activities and original articles pertaining to the particular office should be published in these magazines. Main provisions of Official Language Policy may also be mentioned in these magazines. The Central Government Offices are required to bring out e-version of these magazines and to upload them on the 'E-Patrika Pustakalaya platform provided by the Department of Official Language to facilitate smooth access of the In-house magazines to the readers.

24. It has been noticed that in the website of many Departments, information in Hindi is not being provided or in some cases it is not available completely in Hindi. Website should therefore be developed and updated in Hindi.

25. The Department of Official Language, every year conducts Basic Computer Training Programmes in Hindi through Central Hindi Training Institute and the duration of each programme is five days. Maximum number of officers/employees may be nominated for these training programmes. Trainees will be able to work in Hindi on computer after completion of the training programme. Details of the programmes are available at the website of the Central Hindi Training Institute at www.chti rajbhasha.gov.in.

26 The Department of Official Language bestows the **'Rajbhasha Gaurav Puraskar**' with an objective to encourage writing books originally in Hindi in various streams of contemporary knowledge/science and to promote use of Official Language Hindi. "**Rajbhasha Kirti Puraskar**" are given by the Department of Official Language to Ministries/Departments, Public Sector Undertakings, Boards/Autonomous Bodies/Trusts etc., Nationalized Banks, Town Official Language Implementation Committees and in-house Hindi Magazines which register significant progress in the use of Official Language. Information about these two award schemes is available at the website of Department of Official Language www.rajbhasha.gov.in.

27. The Department of Official Language, in its website, has provided the links of various institutions through which one can see the glossary of those institutions. If any office has prepared its own glossary, it may be shared with this Department so that others may also take advantage of it.

28. राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर **"ई-सरल हिंदी वाक्यकोश'** शीर्षक के अंतर्गत सामान्यतः अंग्रेजी में प्रयोग होने वाले वाक्यों के हिंदी अनुवाद दिए गए हैं जिनके प्रयोग से अधिकारी फाइलों पर सामान्य टिप्पणियाँ आसानी से हिंदी में लिख सकते हैं।

29. अंतरराष्ट्रीय संधियों और करारों को अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराया जाए। विदेशों में निष्पादित संधियों और करारों के प्रामाणिक अनुवाद तैयार कराकर रिकॉर्ड के लिए फाइल में रखे जाएं।

30. हिंदीतर राज्यों में बोर्ड, साइन बोर्ड, नामपट्ट तथा दिशा संकेतकों के लिए क्षेत्रीय भाषा, हिंदी तथा अंग्रेजी, इसी क्रम में, प्रयोग की जानी चाहिए।

31. प्रशिक्षण और कार्यशालाओं सहित राजभाषा हिंदी संबंधी कार्य कर रहे अधिकारियों/ कर्मचारियों को कार्यालय में बैठने के लिए अच्छा व समुचित स्थान एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वाह ठीक तरह से कर सकें।

32. हमें अपने कार्य-व्यवहार में आम जीवन में प्रचलित शब्दों के प्रयोग पर बल देना चाहिए ताकि सामान्य नागरिक सरकारी नीतियों/कार्यक्रमों के बारे में सरल हिंदी में जानकारी प्राप्त कर सके।

28. Hindi translation of the generally used English sentences has been provided by the Department of Official Language on its website under the heading "**E-Saral Hindi Vakyakosh**" so that officers may write noting in Hindi on files easily by using them.

29. International Treaties and Agreements should invariably be prepared both in Hindi as well as in English. There should be authentic translations of Treaties and Agreements entered into in other countries and they should be kept on file for record.

30. In non-Hindi speaking States, respective Regional Language, Hindi and English should be used in this order for boards, sign boards, name plates and directional indicators.

31. The officers/employees handling Hindi work including training and workshops should also be provided good and sufficient space and other necessary facilities to sit in the office to facilitate them to discharge their duties properly.

32. Emphasis should be given on the use of popular words in our routine work so that citizens have an access to Government Policies/Programmes in simple Hindi language.

हिंदी भाषा, टंकण एवं आशुलिपिक प्रशिक्षण
Hindi Language, Typing and Stenography Training

संवैधानिक उपबंधों संवैधानिक उपबंधों के अनुपालन में केंद्रीय सरकार के हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों को हिंदी सिखाने का कार्य सर्वप्रथम शिक्षा मंत्रालय द्वारा जुलाई, 1952 में प्रारम्भ किया गया। राष्ट्रपति द्वारा गृह मंत्री को संबोधित 12 जून, 1955 के पत्र में दिए गए सुझावों पर कार्रवाई के अनुसरण में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिंदी सिखाने का कार्य गृह मंत्रालय को सौंपे जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार अक्तूबर, 1955 से गृह मंत्रालय के तत्वावधान में हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत कार्यालय समय में हिंदी कक्षाएँ चलाई जा रही हैं। वर्ष 1960 में हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया। वर्ष 1974 से केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों तथा उसके संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों के अतिरिक्त केंद्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन निगमों, निकायों, कंपनियों, उपक्रमों, बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए भी हिंदी भाषा, हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त अनिवार्य कर दिया गया। वर्ष 1975 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग की स्थापना हुई और हिंदी शिक्षण योजना को राजभाषा विभाग के अधीन कर दिया गया। हिंदी शिक्षण योजना के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नै एवं गुवाहाटी में पाँच क्षेत्रीय कार्यालय हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णकालिक केंद्रों के साथ-साथ अंशकालिक केंद्रों पर भी संचालित किए जा रहे हैं।

In compliance with the constitutional provisions, the task of teaching Hindi to those employees of central government, who do not possess the knowledge of Hindi, was initiated by the Ministry of Education in July, 1952. The training of Hindi Language, Hindi Typing and Hindi Stenography under the Hindi Teaching Scheme was made compulsory in 1960. Since 1974, in addition to the employees of the Ministries of the Central Government and its attached and subordinate offices, training in Hindi, Hindi Typing and Hindi Stenography has also been made compulsory for the employees of the Corporations, Bodies, Companies, Undertakings, Banks etc. owned or controlled by the Central Government. Department of Official Language was established under the Ministry of Home Affairs in 1975 and Hindi Teaching Scheme was brought under the Department of Official Language. Hindi Teaching Scheme has five regional offices located at Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai and Guwahati. The training programmes are being conducted at fulltime as well as at part time centers.

पाठयक्रम Course	पात्रता (हिन्दी ज्ञान स्तर) Eligibility (Hindi knowledge level)	हिन्दी शिक्षण योजना Hindi Training Scheme	केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान/ उपसंस्थान Central Hindi Training Institute/Sub Institute	पत्राचार Correspondence
प्रबोध Prabodh	प्राइमरी स्तर तक हिंदी ज्ञान भी नहीं / इस प्रशिक्षण को कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मणिपुरी, मिज़ो और अँग्रेजी भाषा-भाषी कार्मिकों प्राप्त कर सकते हैं| No prior knowledge of Hindi is required / this training is available to personnel who speak Kannada, Malayalam, Tamil, Telugu, Manipuri, Mizo, and English.	5 माह, एकांतर दिवस, 02 घंटे 5 months, alternate days, 2 hours	अवधि 25 पूर्ण कार्य दिवस Duration: 25 full working days	एक वर्ष One year
प्रवीण Praveen	प्राइमरी स्तर का हिंदी ज्ञान / इस प्रशिक्षण को मराठी, सिंधी, गुजराती, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, नेपाली, बांग्ला, असमिया, और उड़िया भाषा-भाषी कार्मिकों प्राप्त कर सकते हैं| Primary level Hindi knowledge required. This training is available to personnel who speak Marathi, Sindhi, Gujarati, Maithili, Santali, Bodo, Dogri, Nepali, Bengali, Assamese and Odia languages.	5 माह, एकांतर दिवस, 02 घंटे 5 months, alternate days, 2 hours	अवधि 20 पूर्ण कार्य दिवस Duration: 20 full working days	एक वर्ष One year
प्राज्ञ Pragya	मीडिल स्तर का हिंदी ज्ञान / इस प्रशिक्षण को उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, और पश्तो भाषा-भाषी कार्मिकों प्राप्त कर सकते हैं| 8th level Hindi knowledge required. This training is available to personnel who speak Urdu, Kashmiri, Punjabi, and Pashto languages.	5 माह, एकांतर दिवस, 1.5 घंटे 5 months, alternate days, 1.5 hours	अवधि 15 पूर्ण कार्य दिवस Duration: 15 full working days	एक वर्ष One year
पारंगत Parangat	मैट्रिक स्तर का हिंदी ज्ञान Matriculation level Hindi knowledge	05 माह, एकांतर दिवस, 02 घंटे 5 months, alternate days, 2 hours	---	---
हिन्दी टंकण Hindi Typing	मीडिल स्तर का हिंदी ज्ञान / सभी अँग्रेजी टंककों/ अवर श्रेणी लिपिकों आदि के लिए अनिवार्य 8th level Hindi knowledge / Mandatory for all English typists/lower division clerks, etc.	6 माह, 01 घंटा/दिन 6 months, 1 hour/day	अवधि 40 पूर्ण कार्य दिवस Duration: 40 full working days	06 माह 06 months
हिन्दी आशुलिपिक Hindi Stenography	मैट्रिक स्तर का हिंदी ज्ञान / सभी वर्ग के अँग्रेजी आशुलिपिकों, वैयक्तिक सहायकों तथा निजी सचिवों के लिए अनिवार्य Matriculation level Hindi knowledge / Mandatory for all categories of English Stenographers, PA & PS.	1 वर्ष, 01 घंटा/दिन 1 year, 1 hour/day	अवधि 80 पूर्ण कार्य दिवस Duration: 80 full working days	---

प्रशिक्षण उपरांत वित्तीय लाभ
Financial benefits after Training

पाठयक्रम Course	अंकों के आधार पर नकद पुरस्कार (रूपये में) Cash prizes based on scores (in Rupees)		
प्रतिशत Percentage	55% या उससे अधिक लेकिन 60% से कम 55% or above but less than 60%	60% या उससे अधिक लेकिन 70% से कम 60% or above but less than 70%	70% या उससे अधिक 70% or above
प्रबोध Prabodh	1000/-	2000/-	4000/-
प्रवीण Praveen	1500/-	3000/-	4500/-
प्राज्ञ Pragya	2000/-	4000/-	6000/-
पारंगत Parangat	4000/-	7000/-	10000/-
प्रतिशत Percentage	90% या उससे अधिक लेकिन 95% से कम 90% or above but less than 95%	95% या उससे अधिक लेकिन 97% से कम 95% or above but less than 97%	97% या इससे अधिक 97% or above
हिन्दी टंकण Hindi Typing	2000/-	4000/-	6000/-
प्रतिशत Percentage	88% या उससे अधिक लेकिन 92% से कम 88% or above but less than 92%	92% या उससे अधिक लेकिन 95% से कम 92% or above but less than 95%	95% या इससे अधिक 95% or above
हिन्दी आशुलिपिक Hindi Stenography	2000/-	4000/-	6000/-
नोट: नकद पुरस्कार के अतिरिक्त एक वेतन वृद्धि के बराबर 12 महीने की अवधि के लिए एक वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है। Note: In addition to the cash prize, Personal Pay equivalent to one annual increment is provided for a period of 12 months.			

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा अनुवाद प्रशिक्षण
Translation Training by Central Translation Bureau

राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग में अनुवाद की महत्वपूर्ण और अपरिहार्य आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार के प्रशासनिक ढांचे में अनुवाद की सुनियोजित व्यवस्था आवश्यक थी। वर्ष 1960 में शिक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना करके असांविधिक साहित्य के हिंदी अनुवाद का कार्य आरंभ किया गया। लेकिन राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन का दायित्व गृह मंत्रालय के अधीन होने के कारण केंद्र सरकार के असांविधिक प्रक्रिया साहित्य के अनुवाद का दायित्व भी गृह मंत्रालय को सौंपा गया। तदनुसार 1 मार्च, 1971 को गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई और केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों आदि के असांविधिक प्रक्रिया साहित्य का अनुवाद कार्य केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को सौंपा गया। वर्तमान में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है।

अनुवाद में सरलता, सहजता और शब्दावली की एकरूपता सुनिश्चित करने तथा अनुवाद-कौशल विकसित करने के लिए वर्ष 1973 से अनुवाद प्रशिक्षण का कार्य ब्यूरो को सौंपा गया। इस प्रकार ब्यूरो अनुवाद प्रशिक्षण देने का कार्य भी करता है। केंद्र सरकार के स्तर पर असांविधिक प्रक्रिया साहित्य के अनुवाद और अनुवाद कौशल-विकास के प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो भारत सरकार की एकमात्र मानक संस्था है।

In view of the important and inevitable need for translation in the progressive use of the Official Language Hindi, it was obligatory to make arrangements for translation work in the administrative setup of the Government of India. With this objective, translation work of non-statutory procedural literature was started by setting up Central Hindi Directorate under the Ministry of Education in the year 1960. However, the implementation of Official Language was the responsibility of Ministry of Home Affairs, hence the work of translating non-statutory procedural literature was transferred to the Ministry of Home Affairs. Therefore, on 1st March, 1971 Central Translation Bureau was set up under the Ministry of Home Affairs and it was entrusted with the responsibility of translating the non-statutory procedural literature of the Ministries, Departments, Offices, Undertakings, etc. of the Central Government. At present, Central Translation Bureau is working as a subordinate office of the Department of Official Language under Ministry of Home Affairs.

To ensure simplicity, lucidity and uniformity of terminology in the translation work and enhancing the translation skills Central Translation Bureau was entrusted with the responsibility of imparting training in translation since 1973. Thus Bureau is also imparting training in translation. In fact, Central Translation Bureau is the only organization of the Central Government, engaged in the work of translation and imparting training in translation.

पाठयक्रम Course	पात्रता Eligibility	अवधि Period
प्रारंभिक अनुवाद प्रशिक्षण (अनिवार्य) Induction Translation Training (Compulsory)	हिंदी अनुवादकों, हिंदी सहायकों तथा राजभाषा के कार्यान्वयन से जुड़े कार्मिकों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण Mandatory training for Hindi translators, Hindi assistants, and personnel involved in the implementation of the official language policy.	06 सप्ताह, 30 कार्य दिवस 06 weeks, 30 working days
अधिकारियों के लिए उच्चस्तरीय अनुवाद प्रशिक्षण (Advanced Translation Training for Officers)	सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, बैंकों आदि के राजभाषा अधिकारियों/ हिंदी अधिकारियो तथा राजभाषा के कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारियों के लिए। For Official Language Officers/Hindi Officers of government offices, public sector undertakings, banks, etc., and other officers involved in the implementation of the Official Language.	05 कार्यदिवस 05 working days
पुनश्चर्या अनुवाद प्रशिक्षण (Refresher Translation Training)	हिंदी अनुवादक, हिंदी सहायक तथा राजभाषा के कार्यान्वयन से जुड़े वे सभी कर्मचारी (उनके पदनाम चाहे जो भी हों) जिन्होने पहले त्रिमासिक अनुवाद प्रशिक्षण/ प्रारम्भिक अनुवाद प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है| All Hindi translators, Hindi assistants, and other employees involved in the implementation of the Official Language policy (regardless of their designations) who have previously received quarterly translation training/Induction translation training.	05 कार्यदिवस 05 working days
संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण (आउटरीच) Short-term Translation training (Out-reach)	कार्यालयों / संगठनों आदि में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन से जुड़े कार्मिकों के लिए For personnel involved in the implementation of Hindi as the official language in offices/organizations, etc.	05 कार्यदिवस 05 working days
विशेष तकनीकी अनुवाद प्रशिक्षण Special Technical Translation training	वैज्ञानिकों, तकनीकविदों, इंजीनियरों एवं अन्य विशेषज्ञ अधिकारियों के लिए For scientists, technologists, engineers and other expert officers.	05 कार्यदिवस 05 working days

क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय
Regional Implementation Offices

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों/बीमा कम्पनियों /निगमों/बोर्डों आदि में संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की है। इस प्रयोजन के लिए, देश के विभिन्न क्षेत्रों में राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन 08 क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय कार्यरत हैं ।

मुख्य कार्यकलाप

क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, बीमा कम्पनियों, निगमों, बोर्डों, संगठनों आदि में संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिये किये जा रहे मुख्य कार्य नीचे दिये गये हैं:

1. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, बीमा कम्पनियों, निगमों, बोर्डों, संगठनों आदि में राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 तथा राजभाषा से सम्बधित विभिन्न आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

2. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, बीमा कम्पनियों, बोर्डों, संगठनों आदि का राजभाषा सम्बन्धी नियमित निरीक्षण करना, पाई गयी कमियों को निरीक्षण रिपोर्टों के माध्यम से सम्बधित कार्यालयों को सूचित करना तथा कमियों को दूर करने के लिए अनुसरणात्मक कार्रवाई करना|

3. क्षेत्राधिकार में स्थित कार्यालयों से हिन्दी तिमाही रिपोर्ट नियमित रूप से प्राप्त करना एवं उनकी समीक्षा करके कमियों को सम्बधित कार्यालयों के ध्यान में सुधारात्मक कार्रवाई हेतु लाना तथा उनका अनुश्रवण कार्य करना।

4. विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में भाग लेना।

5. क्षेत्राधिकार में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भाग लेना।

6. जिस नगर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नहीं है अथवा अतिरिक्त नगर राजभाषा समिति के गठन की आवश्यकता हो, तो नई समिति गठित करने का कार्य करना।

7. जिन नगरों में नराकास के सदस्य कार्यालयों की संख्या 50 से अधिक है, वहां नराकासों का विभाजन करना।

8. क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन करना।

9. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों की जानकारी अपने क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त कार्यालयों को प्रदान करना।

10. अपने क्षेत्राधिकार से सम्बधित केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरों एवं केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान/हिन्दी शिक्षण योजना के कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करना।

The Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, is responsible for the implementation of the Union's official language policy and the promotion and propagation of Hindi as the official language in Central Government offices, undertakings, banks, insurance companies, corporations, boards, etc. For this purpose, eight Regional Implementation Offices are functioning in various parts of the country under the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs.

Main Activities

The main activities undertaken by the Regional Office for the implementation of the Union Government's Official Language Policy and the promotion and propagation of Hindi as the official language in the Central Government offices, undertakings, banks, insurance companies, corporations, boards, organizations, etc., located within its jurisdiction are given below:

1. Ensuring compliance with the Official Languages Act, 1963, the Official Languages Rules, 1976, and various orders related to the official language in Central Government offices, undertakings, banks, insurance companies, corporations, boards, and organizations.
2. Conducting regular inspections of Central Government offices, undertakings, banks, insurance companies, boards, and organizations regarding the official language, informing the concerned offices about the deficiencies found through inspection reports, and taking follow-up action to rectify the deficiencies.
3. Regularly receiving Hindi quarterly reports from the offices located within the jurisdiction, reviewing them, bringing the deficiencies to the attention of the concerned offices for corrective action, and monitoring the progress.
4. Participating in the meetings of Departmental Official Language Implementation Committees.
5. Participating in the meetings of the Town Official Language Implementation Committees located within the jurisdiction.
6. Forming new committees in cities where a Town Official Language Implementation Committee does not exist or where the formation of an additional Town Official Language Committee is required.
7. Dividing the Town Official Language Implementation Committees in cities where the number of member offices exceeds 50.
8. Organizing Regional Official Language Conferences.
9. Providing information on orders issued from time to time by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, to all offices located within its jurisdiction.
10. Coordinating with the Central Translation Bureau and the Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme offices related to its jurisdiction.

क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों का विवरण Details of Regional Implementation Offices		
क्रमांक Ser.	पता Address	अधिकार क्षेत्र Jurisdictions
1.	उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पश्चिम), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय सदन, कमरा नं .601ए, सेक्टर 10, 6वां तल, सीबीडी, बेलापुर, नवी मुम्बई-400614 दूरभाष एवं फैक्स -022-27560225 ई : मेल-ddimpol-mum[at]nic[dot]in, ddriomum-dol[at]nic[dot]in	महाराष्ट्र गुजरात गोवा दमण दीव, दादरा एवं नागर हवेली
2.	उप निदेशक (कार्यान्वयन) , क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, कमरा नम्बर 206, निर्माण सदन, 52 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल -462011 दूरभाष- 0755-25531490755-2553149 ई-मेल पता - ddimplbho-mp[at]nic[dot]in, ddriobho-dol[at]nic[dot]in	मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़
3.	उप निदेशक (कार्यान्वयन) उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-। (दिल्ली) गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, ए-149 सरोजिनी नगर, नई दिल्ली-110023 दूरभाष/फैक्स-011-24674674 ई-मेल : ddriodel-dol[at]nic[dot]in	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू व कश्मीर चण्डीगढ़ राजस्थान
4.	उप निदेशक (कार्यान्वयन) उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-।। (गाजियाबाद) गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, कमरा नं. 302, तीसरा तल, सीजीओ भवन, कमला नेहरु नगर, गाजियाबाद-201001 उत्तर प्रदेश दूरभाष/फैक्स- 0120-2719356 ई-मेल : ddriogzb-dol[at]nic[dot]in	उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड

5.	उप निदेशक (पूर्व) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (कार्यान्वयन) गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, निजाम पैलेस, 18वां तल, 234/4, आचार्य जेबोस रोड़ .सी ., कोलकाता-700030 दूरभाष-033-22875305 ,फैक्स-033-22800356 ई : मेल-ddriokol-dol[at]nic[dot]in	पश्चिम बंगाल उड़ीसा बिहार झारखण्ड अण्डमान एवं निकोबार
6.	उप निदेशक क्षेत्रीय कार् (कार्यान्वयन)यान्वयन कार्यालय (दक्षिण) गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय सदन, 5वां तल,डी विंग, कोरमंगला, बेंगलूरू-560034 दूरभाष फैक्स/080-25536232 ई : मेल-ddriobng-dol[at]nic[dot]in	आन्ध्र प्रदेश कर्नाटक तेलंगाना
7.	उप निदेशक क्षेत्रीय कार्यान्वयन (कार्यान्वयन) कार्यालय (पूर्वोत्तर क्षेत्र),गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, हाउस नं-15, भूवन भूयां पथ राजगढ़ रोड़, वाई लेन नं 1 पोस्ट बामुनीमैदान :, एम आह डी रोड, सीडब्लयु .पी ., डी कार्यालय के विपरीत गुवाहाटी -781021 दूरभाष नं) .0361) 2911464 ई : मेल-ddrioguw-dol[at]nic[dot]in	असम त्रिपुरा मिजोरम नागालैण्ड मणिपुर मेघालय सिक्किम अरूणाचल प्रदेश
8.	उप निदेशक (पश्चिम-दक्षिण) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (कार्यान्वयन) गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय भवन, ब्लॉक सी।-, सातवां तल, सेस पीओ-, कोच्चि-682037, केरल ई : मेल-ddriokoc-dol[at]nic[dot]in	केरल तमिलनाडु पुदुच्चेरी लक्षद्वीप

संसदीय राजभाषा समिति
Parliamentary Committee on Official Language

संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन वर्ष 1976 में किया गया था। यह उच्चाधिकार प्राप्त संसदीय समिति है। इसमें 30 संसद सदस्य हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। माननीय गृह मंत्री जी इस समिति के अध्यक्ष हैं। राजभाषा कार्य की प्रगति के निरीक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस समिति को तीन उप-समितियों में विभाजित किया गया है। समिति की ये तीनों उप-समितियां अब तक 18,572 से अधिक कार्यालयों का निरीक्षण कर चुकी हैं और लगभग 882 गणमान्य व्यक्तियों का मौखिक साक्ष्य भी ले चुकी हैं, जिनमें उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल शामिल हैं। इसी कार्य के आधार पर समिति अब तक अपने प्रतिवेदन के बारह खण्ड राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर चुकी है। नौ खण्डों में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेश हो गये हैं। इस समिति का मुख्य उद्देश्य सरकार के कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करना है।

The Parliamentary Committee on Official Language was constituted in 1976 under the Official Languages Act, 1963. It is a high-powered parliamentary committee comprising 30 Members of Parliament, 20 from the Lok Sabha and 10 from the Rajya Sabha. The Hon'ble Home Minister is the Chairman of this committee. To facilitate the smooth functioning of its work of monitoring the progress of official language implementation, the committee has been divided into three sub-committees. These three sub-committees of the committee have so far inspected more than 18,572 offices and have also taken oral evidence from approximately 882 dignitaries, including Chief Justices of High Courts, Chief Ministers, and Governors of states. Based on this work, the committee has so far submitted twelve volumes of its report to the President. The President has issued orders on the recommendations contained in nine of these volumes. The main objective of this committee is to review the progress of the use of Hindi as the official language in the functioning of the government.

संसदीय राजभाषा समिति
Parliamentary Committee on Official Language

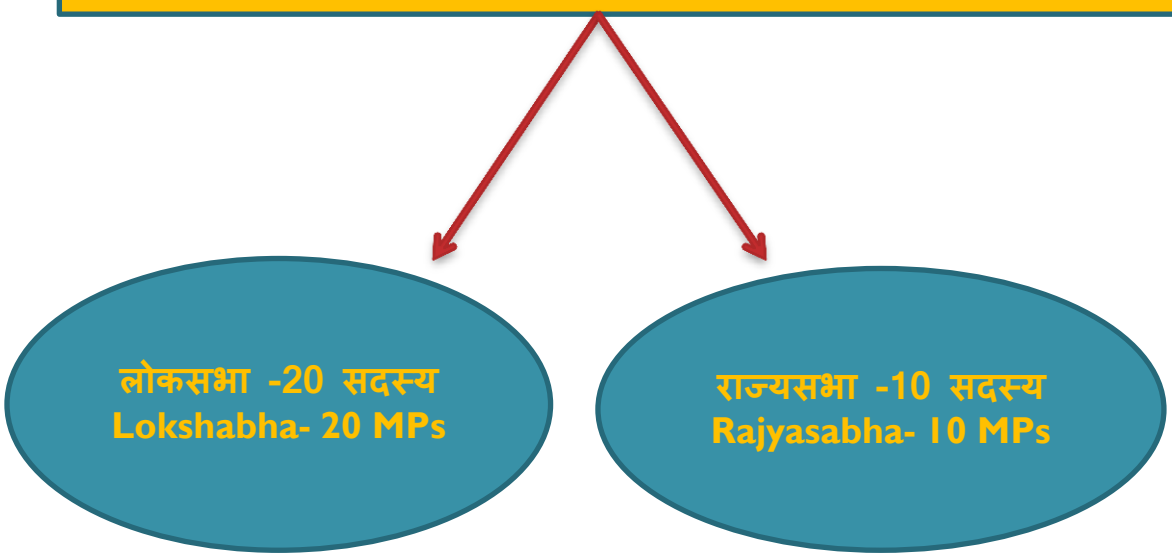

उप समिति-1
रक्षा, विदेश, शिक्षा, कार्मिक आदि
Sub-committee-1
Defence, Foreign Affairs, Education, Personnel, etc.

उप समिति-2
रेल, संचार, सूचना एवं प्रसारण, कृषि आदि
Sub-committee-2
Railways, Communications, Information and Broadcasting, Agriculture, etc.

उप समिति-3
वित्त, वाणिज्य, इस्पात, वस्त्र, श्रम आदि
Sub-committee-3
Finance, Commerce, Steel, Textiles, Labour, etc.

तीनों उप समितियों के संयोजक एवं सदस्यों से समन्वित "आलेख एवं साक्ष्य उप समिति" का गठन किया जाता है जो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का निरीक्षण करती है| यह समिति नीति निर्धारण उप समिति है|

A "Drafting and Evidence Sub-Committee" is constituted, comprising the conveners and members of all three sub-committees, which oversees the Town Official Language Implementation Committees. This committee is a policy-making sub-committee.

केंद्रीय हिंदी समिति
Central Hindi Committee

केंद्रीय हिंदी समिति भारत की सर्वोच्च संस्था है जो संघ की राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार और सरकारी कामकाज में इसके प्रगतिशील उपयोग के लिए दिशा-निर्देश देती है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, विद्वान और अधिकारी सदस्य होते हैं, जिसका मुख्य कार्य विभिन्न मंत्रालयों के हिंदी कार्यों का समन्वय करना है।

प्रमुख बिंदु :

गठन: वर्ष 1967 में किया गया था।

अध्यक्ष: भारत के प्रधानमंत्री।

उपाध्यक्ष: केंद्रीय गृह मंत्री।

सदस्य: इसमें 41 सदस्य होते हैं, जिनमें कई केंद्रीय मंत्री (विदेश, मानव संसाधन, संचार, रेलवे, सूचना प्रसारण, कार्मिक), छह राज्यों के मुख्यमंत्री, संसदीय राजभाषा समिति के संयोजक और कुछ विद्वान शामिल होते हैं।

कार्य:

राजभाषा नीति के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करना।

विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए किए जा रहे कार्यों का समन्वय करना।

राजभाषा नीति के क्रियान्वयन की निगरानी करना।

पुनर्गठन: 9 नवंबर, 2021 को इसका पुनर्गठन किया गया था।

कार्यकाल: सामान्यतः 3 वर्ष।

संक्षेप में, यह समिति हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में बढ़ावा देने और सरकारी कार्यों में इसके उपयोग को बढ़ाने के लिए एक शीर्ष नीति-निर्धारक निकाय है, जिसका समन्वय गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग करता है।

The Central Hindi Committee is the highest body in India charged with providing guidelines for the promotion of Hindi, the official language of the Union, and its progressive use in government work. It is chaired by the Prime Minister and has Union Ministers, Chief Ministers, scholars and officials as members, with the main function being to coordinate the Hindi work of various ministries.

Key Points:

Formed in the year 1967.

Chairman: Prime Minister of India.

Vice-Chairman: Union Home Minister.

Members: It consists of 41 members, including several Union Ministers (Foreign Affairs, Human Resources, Communications, Railways, Information Broadcasting, Personnel), Chief Ministers of six states, the Convener of the Parliamentary Official Language Committee and some scholars.

Work:

To provide guidelines for the Official Language Policy.

To coordinate the work being done by various ministries and departments for the promotion of Hindi.

To monitor the implementation of the Official Language Policy.

Reorganization: It was reorganized on November 9, 2021.

Tenure: Normally 3 years.

In short, this committee is an apex policy-making body for promoting Hindi as the official language of the country and increasing its use in government work, coordinated by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs.

हिंदी सलाहकार समिति
Hindi Advisory Committee

हिंदी सलाहकार समिति भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों में राजभाषा (हिंदी) के प्रयोग और उसके कार्यान्वयन की समीक्षा करने, प्रगति का आकलन करने और नीतियों को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई एक महत्वपूर्ण समिति है, जिसकी अध्यक्षता संबंधित केंद्रीय मंत्री करते हैं और इसमें सरकारी व गैर-सरकारी सदस्य शामिल होते हैं, जो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सुझाव देते हैं।

मुख्य उद्देश्य और कार्य:

समीक्षा: अपने मंत्रालय/विभाग में हिंदी के प्रयोग और राजभाषा नीति के अनुपालन की समीक्षा करना।

सुझाव: हिंदी को बढ़ावा देने, नियमों के हिंदी अनुवाद, द्विभाषी मुद्रण, परीक्षाओं में हिंदी माध्यम के विकल्प और इलेक्ट्रॉनिक संचार में हिंदी के प्रयोग के तरीकों पर विचार करना।

नीति कार्यान्वयन: राजभाषा नीति के सुचारु कार्यान्वयन के लिए ठोस कदम उठाना।

संरचना:

अध्यक्ष: संबंधित मंत्रालय/विभाग के केंद्रीय मंत्री।

उपाध्यक्ष: राज्य मंत्री (पदेन)।

सदस्य: मंत्रालय के अधिकारी और राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसार गैर-सरकारी सदस्य।

बैठकें:

इन समितियों की बैठकें नियमित रूप से (आमतौर पर हर तीन महीने में एक बार) होनी चाहिए।

महत्व:

ये समितियाँ सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित करने और उसे मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है।

Hindi Advisory Committee is an important committee constituted to review the use and implementation of the Official Language (Hindi) in the Ministries and Departments of the Government of India, assess the progress and improve the policies. It ischaired by the concerned Union Minister and consists of government and non-government members, who give suggestions for promotion of Hindi.

Main objectives and functions:

Review: To review the use of Hindi and compliance with the Official Language Policy in your Ministry/Department.

Suggestion: To consider ways to promote Hindi, Hindi translation of rules, bilingual printing, option of Hindi medium in examinations and use of Hindi in electronic communication.

Policy Implementation: To take concrete steps for the smooth implementation of the Official Language Policy.

structure:

Chairman: Union Minister of the concerned Ministry/Department.

Vice-Chairman: Minister of State (ex-officio).

Members: Officers of the Ministry and non-official members as per the instructions of the Department of Official Language.

Meetings:

These committees should meet regularly (usually once every three months).

Importance:

These committees play a vital role in ensuring and strengthening the use of Hindi in government work, thereby helping in achieving the goal of "Ek Bharat, Shreshtha Bharat".

केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति
Central Official Language Implementation Committee

राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में सभी मंत्रालयों विभागों की कार्यान्वयन समितियों में समन्वयन स्थापित करने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। विभिन्न मंत्रालयों की कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष (संयुक्त सचिव या उसके समकक्ष) तथा मंत्रालयों, विभागों के राजभाषा निदेशक तथा उप सचिव इसके सदस्य होते हैं। राजभाषा अधिनियम, नियम तथा सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा विभिन्न समस्याओं के निराकरण की व्यवस्था की जाती है।

This Committee has been constituted under the Chairmanship of the Secretary, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs to establish coordination among the implementation committees of all the ministries and departments. The Chairpersons of the Implementation Committees of various Ministries (Joint Secretary or equivalent) and the Official Language Directors and Deputy Secretaries of the Ministries and Departments are its members. The Official Language Act, Rules and the use of Hindi for official purposes are reviewed from time to time and the implementation of instructions issued by the Home Ministry is reviewed from time to time and arrangements are made to resolve various problems

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
Town Official Language Implementation Committee

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) एक ऐसी समिति है जिसका गठन भारत के उन शहरों में किया जाता है, जहाँ केंद्रीय सरकार के 10 या अधिक कार्यालय, उपक्रम या बैंक हों; इसका मुख्य उद्देश्य इन सभी संस्थानों में राजभाषा (हिंदी) के प्रयोग को बढ़ावा देना, उसकी नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और इस प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक संयुक्त मंच प्रदान करना है. यह समितियाँ साल में दो बार बैठकें करती हैं और विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं व कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं ताकि राजभाषा के प्रति जागरूकता और उपयोग बढ़ सके.

मुख्य उद्देश्य:

केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना.

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करना.

हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली चर्चा और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान करना.

गठन और संरचना:

अध्यक्ष:

नगर में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालय, उपक्रम या बैंक के वरिष्ठ अधिकारी को नामित किया जाता है, जो राजभाषा विभाग द्वारा चुना जाता है.

सदस्य:

उस नगर के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय, उपक्रम और बैंक इसके सदस्य होते हैं, जिनके प्रशासनिक प्रमुख बैठकों में भाग लेते हैं.

सदस्य-सचिव:

अध्यक्ष अपने कार्यालय या किसी सदस्य कार्यालय से एक हिंदी विशेषज्ञ को सदस्य-सचिव मनोनीत करते हैं.

कार्य:

नियमित बैठकें आयोजित करना (आमतौर पर साल में दो बार).

हिंदी से संबंधित प्रतियोगिताओं (निबंध, भाषण, वाद-विवाद, आदि) और कवि सम्मेलनों का आयोजन करना.

हिंदी प्रशिक्षण योजनाओं की जानकारी देना और प्रशिक्षण का प्रबंधन करना.

संक्षेप में, नराकास एक महत्वपूर्ण मंच है जो केंद्र सरकार के संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करके राजभाषा हिंदी को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करता है.

Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) is a committee constituted in cities in India where there are 10 or more Central Government offices, undertakings or banks; Its main objective is to promote the use of the Official Language (Hindi) in all these institutions, ensure implementation of its policy and provide a common platform to resolve the difficulties arising in this process. These committees meet twice a year and organize various Hindi competitions and programs to increase awareness and use of the official language.

Main objectives:

To review the progressive use of the official language Hindi in Central Government offices, undertakings and banks.

To remove the obstacles in the implementation of the Official Language Policy.

To have effective discussions and exchange of best practices for promotion of Hindi.

Formation and Structure:

chairman:

The senior officer of the Central Government office, undertaking or bank located in the city is nominated, who is selected by the Department of Official Language.

Member:

All central government offices, undertakings and banks of that city are its members, whose administrative heads participate in the meetings.

Member-Secretary:

The Chairman nominates a Hindi expert from his office or any member's office as Member-Secretary.

Work:

Holding regular meetings (usually twice a year).

Organising Hindi related competitions (essay, speech, debate, etc.) and poetry conferences.

To provide information about Hindi training schemes and to manage the training.

In short, NARAKAS is an important platform which helps in effective implementation of the official language Hindi by establishing coordination among the institutions of the Central Government.

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति
Departmental Official Language Implementation Committee

सभी विभागों और कार्यालयों में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ गठित की गई हैं। जिनकी प्रति तिमाही बैठकें आयोजित की जाती है। इन समितियों में राजभाषा अधिनियम, नियम, वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विचार किया जाता है तथा हिंदी प्रचार प्रसार तथा कार्यान्वयन हेतु समुचित प्रयास किए जाते हैं।

Departmental Official Language Implementation Committees have been formed in all departments and offices. Their meetings are held every quarter. In these committees, discussions are held for achieving the targets given in the Official Language Act, rules, annual programme and appropriate efforts are made for the promotion and implementation of Hindi

राजभाषा संबंधी प्रमुख संस्थान
Major institutions related to the Official Language

<u>वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (Commission for Scientific and Technical Terminology):-</u> सभी भारतीय भाषाओं के लिए पारिभाषिक शब्दावली के विकास के उद्देश्य से महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने एक समिति की संस्तुति के आधार पर, 27 अप्रैल, 1960 को एक स्थायी आयोग के गठन का आदेश दिया जिसके अनुसरण में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड (4) के उपबंधों के अधीन, दिनांक 1 अक्टूबर, 1961 को भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। शब्दावली आयोग का मुख्य कार्य मानक शब्दावली विकसित करना तथा उसका प्रयोग, वितरण एवं प्रचार करना है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली विकसित करने में राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, क्षेत्रीय पाठ्य पुस्तक बोर्डों तथा राज्य अकादमियों के सहयोग से हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में संदर्भ ग्रंथों/सामग्री का विकास भी सम्मिलित है।

वर्तमान में वै.त.श.आयोग (CSTT), उच्चत्तर शिक्षा विभाग, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है| वै.त.श.आयोग द्वारा विकसित मानक शब्दावली का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्य-पुस्तकों व संदर्भ ग्रंथों के हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशन हेतु 22 राज्य ग्रंथ अकादमियों/राजकीय पाठ्य-पुस्तक मंडलों, विश्वविद्यालय जैसे इकाइयाँ वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के साथ कार्यरत हैं। अब तक वै.त.श.आयोग द्वारा विभिन्न भाषाओं तथा विषयों के लगभग आठ लाख शब्दों की मानक शब्दावलियों का प्रकाशन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त; वै.त.श.आयोग द्वारा बड़ी संख्या में पारिभाषिक शब्दालियों, शब्द कोशों, पाठ्य-पुस्तकों, संदर्भ ग्रंथों, त्रैमासिक पत्रिका ('विज्ञान गरिमा सिंधु' तथा 'ज्ञान गरिमा सिंधु'), मोनोग्राफ तथा समान प्रकृति के साहित्य आदि का प्रकाशन किया जाता है। वै.त.श.आयोग द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों में प्रयोग की जाने वाली प्रशासनिक शब्दावली भी विकासित की गई है, जिसका प्रयोग बड़े पैमाने पर शासकीय विभागों, संस्थानों, शोध-अनुसंधान प्रयोगशालाओं, स्वायत्त संस्थाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों आदि द्वारा किया जाता है।

हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की मानक शब्दावली को लोकप्रिय बनाने तथा इसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए वै.त.श.आयोग निरंतर कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, अभिविन्यास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी करता रहता है।

Commission for Scientific and Technical Terminology was established on October 01, 1961 in pursuance of a Presidential Order dated April 27, 1960 with the objective to evolve technical terminology in all Indian Languages. The Commission was established under clause (4) of Article 344 of the Constitution of India as a follow up of recommendations of a Committee in this regard. The main function of the Commission is to evolve standard terminology, propagate its use and distribute it widely. In the process of evolution of scientific and technical terminology and reference material in Hindi and Indian Languages, the Commission shall have collaboration of State Governments, Universities, Regional Text-Book Boards and State Granth Academies.

Presently, CSTT is functioning under Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India with its headquarters at New Delhi. Twenty two State Granth Academies / State Text-Book Boards / Universities Cells, etc. are also associated with this Commission to produce University Level Text-Books / reference materials in Hindi and other Indian Languages with the use of standard terminology as evolved by the CSTT. Till date, CSTT has standardized the terminology of about eight lakhs technical terms in different subjects and in different languages. Besides this, CSTT has published large number of Definitional Dictionaries, Glossaries, Text-Books, Reference Materials and Monographs, Quarterly Journals named 'Vigyan Garima Sindhu' and 'Gyan Garima Sindhu' and many more works of similar nature. CSTT has also taken care of Administrative and various Departmental Glossaries that are widely used by various Government Departments, Institutions, Research Laboratories, Autonomous Organization, PSUs etc.

CSTT regularly organizes workshops, seminars, symposium, conferences, orientation and training programmes to increase the use and popularize the standard terminology of Hindi and other Indian languages.

केंद्रीय हिंदी निदेशालय (Central Hindi Directorate):-
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए दिया गया निर्देश इस प्रकार है-

"संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।"

संविधान की इस भावना के अनुपालन की दिशा में 1 मार्च, 1960 को शिक्षा मंत्रालय (अब उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय) के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई। चेन्नई, हैदराबाद, गुवाहाटी और कोलकाता में इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

The direction given under article 351 of the Indian Constitution for the development of Hindi Language is as under- "It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expressions used in Hindustani and in the other languages of India specified in the Eighth Schedule, and by drawing, wherever necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages."

In keeping with above cited constitutional injunction of the Central Hindi Directorate was established on 1st March, 1960 as a subordinate office of the then Ministry of Education(which has now been renamed as Ministry of Education, Department of Higher Education). The four regional offices of the Directorate are located in Chennai, Hyderabad, Guwahati and Kolkata.

साहित्य अकादमी (Sahitya Akademi):- साहित्य अकादमी भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी है, जिसकी स्थापना 1954 में भारत सरकार द्वारा की गई थी, जो भारत की 24 मान्यता प्राप्त भाषाओं में साहित्य के विकास, संरक्षण और प्रचार-प्रसार के लिए कार्य करती है, और इसके तहत साहित्य अकादमी पुरस्कारों सहित विभिन्न सम्मान और साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह एक स्वायत्त संस्था है जिसका मुख्यालय दिल्ली के रवींद्र भवन में है और यह साहित्य को बढ़ावा देने के लिए प्रकाशन, कार्यशालाएँ और सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम भी आयोजित करती है।

The Sahitya Akademi is India's national literary academy, established in 1954 by the Government of India, which works for the development, preservation and promotion of literature in India's 24 recognized languages, and administers various honours and literary events, including the Sahitya Akademi Awards. It is an autonomous body headquartered at Ravindra Bhavan in Delhi and also organises publications, workshops and cultural exchange programmes to promote literature.

हिंदी के ई-टूल्स
Hindi E-tools

भारती: बहुभाषी अनुवाद सारथी

भारती - बहुभाषी अनुवाद सारथी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच बेहतर समन्वय को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह परियोजना, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग और सी-डैक के बीच एक संयुक्त प्रयास है। इसे हिंदी और संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 15 भारतीय भाषाओं के बीच की खाई को पाटने के लिए डिजाइन किया गया है, जो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्राथमिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह क्षेत्रीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने और भारत की भाषाई विरासत को संरक्षित करने में मदद करता है। यह कंठस्थ 2.0 की उस उल्लेखनीय सफलता पर आधारित, जिसने 32,500 से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं और 5.7 करोड़ से भी अधिक मानव-सत्यापित समानांतर वाक्यों के साथ नई ऊँचाइयाँ छुईं, भारती - बहुभाषी अनुवाद सारथी अब इन उद्देश्यों को और व्यापक क्षितिज तक ले जाने के लिए अग्रसर है। इस पहल के अंतर्गत स्थापित भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा किया गया। यह नया अनुभाग सी-डैक के साथ मिलकर भारती - बहुभाषी अनुवाद सारथी, एक बहुआयामी भारतीय भाषा अनुवाद प्रणाली, के विकास पर कार्य करेगा। इन सभी प्रयासों से न केवल पूरे देश में भाषायी एकता को मजबूती मिलती है, बल्कि नागरिकों को जुड़ने, संवाद करने और भारत की विविध सांस्कृतिक पहचान का उत्सव मनाने की शक्ति भी मिलती है।

मुख्य विशेषताएं

- फ़ाइल प्रबंधन: अनुवाद कार्यों के लिए फ़ाइलें अपलोड और प्रबंधित करने के लिए व्यापक उपकरण।
- स्वचालित वाक् पहचान (एएसआर): उपयोगकर्ताओं के लिए वॉयस टाइपिंग की सुविधा।
- बहु-स्वरूप समर्थन: 36 विभिन्न फ़ाइल स्वरूपों के साथ संगतता।
- एनएमटी और टीएम: बेहतर सटीकता के लिए स्मार्ट मशीन अनुवाद और अनुवाद स्मृति का संयोजन।
- फ़ाइल प्रारूप संरक्षित रखना: अनुवाद प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए फ़ाइल स्वरूपों को अनुकूलित और पुनर्निर्मित करना।
- अनुवाद प्रगति ट्रैकिंग: उपयोगकर्ताओं को उनकी परियोजनाओं का ट्रैक रखने और उन्हें प्रबंधित करने में मदद करना।
- वेटर प्रणाली: केवल मानव-सत्यापित अनुवादों को ही ग्लोबल ट्रांसलेशन मेमोरी में जोड़ा जाता है

Bharati - Bahubhashi Anuvada Sarthi

Bharati - Bahubhashi Anuvada Sarthi aligns with the vision of Prime Minister Shri Narendra Modi to promote better coordination between Hindi and Indian languages. The project is a collaborative effort between the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs (MHA), and C-DAC. It is designed to bridge the gap between Hindi and 15 Indian languages listed in the Eighth Schedule of the Constitution, representing the first languages of various states and Union Territories. It fosters regional language use and contributes to preserving India's rich linguistic heritage. Building on the success of Kanthasth 2.0, which has over 32,500+ registered users and 57+ million human-verified parallel sentences in its Global Memory, Bharati Bahubhashi is ready to reach new milestones. The Bharatiya Bhasha Anubhag, established under this initiative, was inaugurated by Union Home Minister Shri Amit Shah in New Delhi. This new section will work with C-DAC to develop Bharati Bahubhashi, a multifaceted translation system for Indian languages. Together, these efforts not only strengthen linguistic harmony across the nation but also empower citizens to connect, communicate, and celebrate India’s diverse cultural identity.

Key Features

- File Management: Comprehensive tools for uploading and managing various file types.
- Automatic Speech Recognition (ASR): Offers voice typing for added convenience.
- Versatile Format Support: Compatibility with 36 file formats.
- NMT with TM: Combines Neural Machine Translation with Translation Memory for accurate, context-aware results.
- File Format Retention: Optimizes and reconstructs file formats for smoother workflows
- Translation Progress Tracking: Offers transparency and accountability in project management.
- Vetter System: Ensures only human-verified translations are added to the Global Translation Memory.

हिंदी शब्द-सिंधु

हिंदी शब्द-सिंधु
शब्दों को खोजें, अर्थ जानें और भाषा का ज्ञान बढ़ाएं।

शब्द-सिंधु: शब्दों का महासागर

हिंदी शब्द-सिंधु, भारत सरकार की वह महत्त्वपूर्ण पहल है, जिसे राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) तथा केंद्रीय हिंदी निदेशालय और वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग (शिक्षा मंत्रालय) ने मिलकर साकार किया है। यह एक विशाल ऑनलाइन शब्दकोश है, जिसमें सात लाख से भी अधिक शब्द संजोए गए हैं। इसमें केवल सामान्य हिंदी शब्द ही नहीं, बल्कि पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे और आधुनिक विज्ञान-प्रौद्योगिकी के पारिभाषिक शब्द भी समाहित हैं। इस पहल का लक्ष्य हिंदी को समृद्ध और आधुनिक स्वरूप प्रदान करना है, साथ ही भारतीय भाषाओं के बीच साझा शब्द-संपदा का सेतु भी निर्मित करना है।

यह शब्द-भंडार वास्तव में एक अथाह सागर है—जहाँ विविध भाषाओं, बोलियों, विज्ञान और संस्कृति की अनगिनत धाराएँ मिलकर एक अखंड प्रवाह रचती हैं। यह प्रवाह निरंतर गतिशील है, जिसमें प्रत्येक नया शब्द एक लहर बनकर जुड़ता है और हिंदी को और अधिक जीवंत, व्यापक तथा भविष्यमुखी बनाता है।

Hindi Shabd-Sindhu is a significant initiative of the Government of India, jointly implemented by the Department of Official Language (Ministry of Home Affairs), the Central Hindi Directorate, and the Commission for Scientific and Technical Terminology (Ministry of Education). It is a vast online dictionary containing over seven lakh words. It includes not only common Hindi words but also synonyms, antonyms, idioms, and technical terms from modern science and technology. The goal of this initiative is to enrich and modernize the Hindi language, while also building a bridge of shared vocabulary among Indian languages.

This vocabulary is truly an inexhaustible ocean—where countless streams from diverse languages, dialects, science, and culture converge to form a single, unbroken flow. This flow is constantly dynamic, with each new word joining as a wave, making Hindi even more vibrant, comprehensive, and future-oriented.

लीला

LILA
Learn Indian Languages through Artificial Intelligence

लीला (LILA-Learn Indian Languages through Artificial Intelligence) स्वयं शिक्षण मल्टीमीडिया पैकेज है। हिंदी सीखने के लिए यह निःशुल्क है। मोबाईल पर प्ले स्टोर से Lila-rajbhasha एवं Lila-pravah ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लीला प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ पैकेज का निर्माण विशेष रूप से उन कार्मिकों के लिए किया गया है जो ऐसे स्थानों पर तैनात हैं जहाँ केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के नियमित केंद्र नहीं हैं। इनके अतिरिक्त, वे कार्मिक जो किन्हीं कारणों से नियमित कक्षाओं में नहीं जा पाते, लीला स्वशिक्षण (Self Learning) पैकेज के माध्यम से हिंदी सीख सकते हैं। जो अंग्रेजी और 14 अन्य भारतीय भाषाओं (जैसे असमिया, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, आदि) के माध्यम से हिंदी सिखाता है|

LILA (Learn Indian Languages through Artificial Intelligence) is a self-learning multimedia package. It is free for learning Hindi. You can download the Lila-rajbhasha and Lila-pravah apps from the Play Store on your mobile device. The Lila Prabodh, Praveen, and Pragya packages have been specially designed for employees posted in locations where the Central Hindi Training Institute does not have regular centers. In addition, employees who are unable to attend regular classes for any reason can learn Hindi through the LILA self-learning package. It teaches Hindi through English and 14 other Indian languages (such as Assamese, Bengali, Tamil, Telugu, etc.).

लीला राजभाषा (ऐप)

लीला प्रवाह (ऐप)

हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन योजना
Incentive scheme for working in Hindi

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय), भारत सरकार की नीतियों/आदेशों के अनुपालन में सरकारी अधिकारियों/कार्मिकों को मूलरूप से हिंदी में टिप्पण/मसौदा आलेखन को प्रोत्साहित करने के लिए वार्षिक आधार पर प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इस प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रत्येक कार्यालय एक वित्त वर्ष में अधिकतम 10 पुरस्कार प्रदान कर सकता है। केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र रूप से इस योजना को लागू कर सकते हैं।

मानदंड

प्रोत्साहन योजना में भाग लेने के लिए निम्नलिखित मानदंड होंगेः-

(क) कौन भाग ले सकता है

सभी वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी जिनसे सरकारी काम-काज में मूल टिप्पण/मसौदा आलेखन की अपेक्षा की जाती है, इस योजना में भाग ले सकते हैं।

(ख) कौन भाग नहीं ले सकता है

(i) सहायक निदेशक (राजभाषा)/अनुवाद अधिकारी इसके लिए पात्र नहीं हैं।

(ii) आशुलिपिक/टंकक जो सरकारी काम-काज में हिंदी को बढ़ावा देने की किसी अन्य योजना में आते हों, इस योजना में भाग नहीं ले सकते है।

पुरस्कार

वित्त वर्ष के आधार पर प्रति वर्ष दिए जाने वाले पुरस्कार इस प्रकार निर्धारित हैं:-

प्रथम पुरस्कार (2)	-	प्रत्येक 5000/-
द्वितीय पुरस्कार (3)	-	प्रत्येक 3000/-
तृतीय पुरस्कार (5)	-	प्रत्येक 2000/-

पुरस्कार निर्धारण के मानदंड

मूल्यांकन की सुविधा के लिए कुल 100 अंक निर्धारित किये गये हैं। इसमें 70 अंक काम की मात्रा तथा 30 अंक भाषा/लेखन शैली/व्याकरण के लिए होंगे ।

In compliance with the policies/orders of the Department of Official Language (Ministry of Home Affairs), Government of India, an incentive scheme has been implemented on an annual basis to encourage government officers/personnel to draft notes/documents originally in Hindi. Under this incentive scheme, each office can award a maximum of 10 prizes in a financial year. All Ministries, Departments, attached and subordinate offices of the Central Government can independently implement this scheme for their officers/employees.

Criteria

The following criteria will apply for participation in the incentive scheme:

(a) Who can participate

Officers/employees of all categories who are expected to draft original notes/documents in Hindi in the course of their official duties can participate in this scheme.

(b) Who cannot participate

(i) Assistant Directors (Official Language)/Translation Officers are not eligible.

(ii) Stenographers/Typists who are covered under any other scheme for promoting Hindi in official work cannot participate in this scheme.

Prize

The prize to be given annually on a financial year basis are as follows:

First Prize (2) - ₹5000 each

Second Prize (3) - ₹3000 each

Third Prize (5) - ₹2000 each

Criteria for Prize Determination

For ease of evaluation, a total of 100 marks have been allotted. 70 marks will be for the quantity of work and 30 marks for language/writing style/grammar.

वार्षिक कार्यक्रम 2025-26
Annual Programme 2025-26

क्षेत्र Region	"क" "A"		"ख" "B"		"ग" "C"	
हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित) Originating correspondence in Hindi (including Email)	क से क को From A to A	100%	ख से क को From B to A	90%	ग से क को From C to A	60%
	क से ख को From A to B	100%	ख से ख को From B to B	90%	ग से ख को From C to B	60%
	क से ग को From A to C	70%	ख से ग को From B to C	60%	ग से ग को From C to C	60%
	क से क व ख क्षेत्र के राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति From A to Offices/individuals in states/UTs of A and B Regions.	100%	ख से क व ख क्षेत्र के राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति From B to Offices/individuals in states/UTs of A and B Regions.	90%	ग से क व ख क्षेत्र के राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति From C to Offices/individuals in states/UTs of A and B Regions.	60%
हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना Letters received in Hindi to be answered in Hindi.	100%		%100		%100	
हिंदी में टिप्पण Noting in Hindi	80%		55%		35%	
हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती Recruitment of employees utilized for Hindi typing & Stenographers	80%		70%		45%	
हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि) Hindi Training (Language, Typing, Stenography)	100%		%100		%100	

जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, ई-हिंदी समाचार पत्र, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय। Expenditure for the purchase of Hindi books, etc., including digital material i.e., Hindi e-books, e-newspapers, CDs/DVDs, pen drives, including amount incurred on Translation in Hindi from English and Regional languages out of the total library grant excluding journals and standard reference books.	50%	50%	50%
बेवसाइट द्विभाषी हो Website bilingual	100%	100%	100%
अधीनस्थ कार्यालयों तथा अनुभागों का निरीक्षण Inspection of Units under command and sections	30%	30%	30%
कोड, मैनुअल, फार्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद Translation of Codes, Manuals, Forms, Procedural literatures	100%	100%	100%
मंत्रालय/विभाग/ कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां सम्पूर्ण कार्य हिंदी में हो| Sections of Ministries/Depts/ Offices/Banks/Undertakings where entire work to be done in Hindi.	45%	35%	25%

अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन
All India Official Language Conference

क्रमांक Ser.	सम्मेलन का नाम Name of Conference	वर्ष Year	स्थान Place	संक्षिप्त विवरण Brief summary
1.	प्रथम अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन	2021	वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	हिंदी दिवस के अवसर पर प्रथम बार आयोजन
2.	द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन	2022	सूरत (गुजरात)	राजभाषा हिंदी के व्यावहारिक प्रयोग पर बल
3.	तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन	2023	पुणे (महाराष्ट्र)	प्रशासन एवं तकनीक में हिंदी के प्रयोग पर चर्चा
4.	चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन	2024	भारत मंडपम, नई दिल्ली	हिंदी राजभाषा की 75वीं वर्षगांठ (हीरक जयंती)
5.	पंचम अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन	2025	गांधीनगर (गुजरात)	महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में आयोजन

आयोजक : राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
Organized by: Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India

हिंदी हम सबकी परिभाषा

कोटि-कोटि कंठों की भाषा,
जनगण की मुखरित अभिलाषा,
हिंदी है पहचान हमारी,
हिंदी हम सबकी परिभाषा।

आज़ादी के दीप्त भाल की,
बहुभाषी वसुधा विशाल की,
सहृदयता के एक सूत्र में,
यह परिभाषा देश-काल की।

निज भाषा जो स्वाभिमान को,
आम आदमी की जुबान को,
मानव गरिमा के विहान को,
अर्थ दे रही संविधान को।

हिंदी आज चाहती हमसे-
हम सब निश्छल अंतस्तल से,
सहज विनम्र अथक यत्नों से,
मांगे न्याय आज से, कल से।

कोटि-कोटि कंठों की भाषा,
जनगण की मुखरित अभिलाषा,
हिंदी है पहचान हमारी,
हिंदी हम सबकी परिभाषा।

-डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी